### सेवा में,

आयुक्त महोदय, National Education Society for Tribal Students (NESTS), नई दिल्ली।

विषय - मा॰ सुप्रीम कोर्ट के दिनांक - 01.09.2025 के आदेशानुसार तथा NCTE द्वारा निर्धारित Minimum Educational Qualification के अनुसार NESTS/Adv/2025/01 dt 19.09.2025 के माध्यम से जारी EMRS STAFF SELECTION EXAM (ESSE)-2025 विज्ञापन में PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications को संशोधित किए जाने के सम्बन्ध में पत्र।

महोदय, पूर्व में आपको ईमेल के माध्यम से दिनांक - 24.09.2025 को पत्र लिख कर एवं CPGRAMS संदर्भ संख्या - MTRBL/E/2025/0001659 के माध्यम से इस विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करने की वजह - महोदय, जुलाई, 2025 माह में NESTS की Governing Body की बैठक में NESTS Recruitment Rules को Revised किया गया, लेकिन Recruitment Rules Revision में PGT Computer Science, TGT Computer Science Post के लिए NCTE द्वारा दिनांक 12.11.2014 को अधिसूचित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में विनियम संख्या 4 (क) तथा NVS के Recruitment Rules में PGT Computer Science की Essential Educational Qualifications के विपरीत B.Ed. को Essential Educational Qualifications में शामिल नहीं किया गया है।

NESTS के द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों के लिए B.Ed. अनिवार्य नहीं करके, NCTE अधिनियम, 2009 (यधासंशोधित) की धारा 12क विद्यालय शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम स्तर अवधारित करने की परिषद् की शक्ति क स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है, क्योंकि धारा 12 क के अनुसार - विद्यालय शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम स्तर अवधारित करने की परिषद् की शक्ति एवं अधिकार भारत की संसद द्वारा पारित NCTE अधिनियम द्वारा NCTE को प्राप्त है।

और NESTS के द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों के लिए B.Ed. अनिवार्य नहीं किया गया है, जबिक NCTE Minimum Qualification Regulations 12.11.2014 के Regulation 4A के अनुसार TGT और PGT शिक्षकों के लिए B.Ed. Essential Educational Qualification है।

शैक्षिक मामलों की जानकारी रखने वाले विधि विशेषज्ञ/अधिवक्ताओं का मौखिक मत :-

महोदय, हम B.Ed. छात्रों द्वारा <u>NESTS/Adv/2025/01</u> दिनांक 19.09.2025 को जारी विज्ञापन (ESSE)-2025 पर शैक्षिक मामलों के जानकार विधि विशेषज्ञ/अधिवक्ताओं का मौखिक मत प्राप्त किया है।

# उनका मत है कि NESTS/Adv/2025/01 दिनांक 19.09.2025 को जारी विज्ञापन (ESSE)-2025 में निम्न विवादित बिन्दु हैं :-

- 1. PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों के पदों की भर्ती हेतु NCTE Minimum Qualification Regulations के Regulation 4A के अनुसार B.Ed. को Essential Educational Qualification नहीं किया गया है।
- 2. NCTE Act, 1993 (As Amended) की धारा 12क का उल्लंघन।
- 3. NCTE Act, 1993 (As Amended) की धारा 32 (2)(घघ) का उल्लंघन।
- 4. अन्य सभी Autonomus Educational Organization जैसे KVS, NVS, AEES, Sainik School Society, ISRO द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों के पदों के लिए NCTE के अनुसार B.Ed. को Essential Educational Qualification रखा गया है, जबिक NESTS द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों के पदों के लिए NCTE के अनुसार B.Ed. को Essential Educational Qualification नहीं रखा गया है।

# 5. TGT Computer Science शिक्षकों की Minimum Qualification RTE Act, 2009 और NCTE द्वारा 23.08.2010 को जारी Minimum Qualification के विपरीत होना।

6. TGT Computer Science के मामले में विधि विशेषज्ञ/अधिवक्ताओं ने अवगत कराया कि ESSE 2025 विज्ञापन में TGT Computer Science शिक्षकों की Essential Educational Qualification मा० सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक - 01.09.2025 के विरुद्ध हैं।

इन 6 बिन्दुओं को आधार बनाकर NESTS/Adv/2025/01 दिनांक 19.09.2025 को जारी विज्ञापन (ESSE)-2025 को <u>माननीय न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है और पहली सुनवाई में ही NESTS/Adv/2025/01 दिनांक 19.09.2025 को जारी विज्ञापन (ESSE)-2025 पर Stay की प्रेयर डाली जाएगी, जब तक कि NESTS द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों की Essential Educational Qualification में B.Ed. को शामिल नहीं कर लिया जाता है।</u>

- ▶ TGT Computer Science शिक्षकों पर RTE अधिनियम, 2009 एवं NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 लागू होने की वजह से TGT Computer Science शिक्षकों के लिए B.Ed. और CTET अनिवार्य किया जाना चाहिए।
- महोदय, आप अवगत हैं कि NESTS द्वारा संचालित EMRS विद्यालयों में TGT Computer Science समेत समस्त TGT शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण कार्य करते हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य भी शामिल है।
- ➤ अतः TGT Computer Science शिक्षकों पर RTE अधिनियम, 2009 लागू होता है और TGT Computer Science शिक्षक एवं RTE अधिनियम, 2009 एवं NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 के अंतर्गत आते हैं।
- अतएव TGT Computer Science शिक्षकों पर RTE अधिनियम, 2009 एवं NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 लागू होने की वजह से TGT Computer Science शिक्षकों के लिए B.Ed. और CTET अनिवार्य है।

# TGT Computer Science शिक्षकों की Essential Educational Qualification में B.Ed. को शामिल किए जाने की सबसे बड़ी वजह:-

- ESSE-2025 विज्ञापन में TGT Computer Science शिक्षकों की Essential Educational Qualification मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के विरुद्ध हैं।
- महोदय, आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 का कार्यकारी अंश निम्नवत है –
- 216. Bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than five years' service left, as on date, may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if any such teacher (having less than

five years' service left) aspires for promotion, he will not be considered eligible without he/she having qualified the TET.

- 217. Insofar as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall have to quit service. They may be compulsorily retired; and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.
- 218. Subject to what we have said above, it is reiterated that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promotion must, however, qualify the TET; or else, they would have no right of consideration of their candidature.
- 219. With the aforesaid modification of the impugned judgments/orders, all the appeals relatable to in-service teachers of non-minority schools stand disposed of on the above terms.

माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक - 01.09.2025 को कक्षा 1 से 8 तक में शिक्षण कार्य करने वाले एवं 05 वर्ष से अधिक की सेवाविध रखने वाले बिना TET पास शिक्षकों को आगामी दो वर्षों में यानि कि 01.09.2027 तक हर हाल में TET पास करने का आदेश दिया है, अन्यथा कि स्थिति में उन्हें सेवा से बाहर होना पड़ेगा।

जबिक माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के विपरीत NESTS द्वारा EMRS स्कूलों में ESSE 2025 के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक में शिक्षण कार्य करने के लिए बिना B.Ed. और बिना CTET Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की भर्ती की जा रही है।

ऐसे में अगर NESTS द्वारा ESSE - 2025 के माध्यम से Two Tier Exam के बाद सितम्बर, 2026 तक बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की भर्ती करके नियुक्ति करता है तो उन बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों को मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक - 01.09.2025 के अनुसार 01.09.2027 तक TET पास करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों को त्यागपत्र देकर सेवा से बाहर होना अनिवार्य होगा।

अब अगर NESTS द्वारा ESSE - 2025 के माध्यम से बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों को सेवा से बाहर होना ही पड़ेगा क्योंकि जब उनके पास कोई B.Ed. की Degree ही नहीं होगी तो वे CTET कैसे पास कर सकेंगे।

- अतः कृपया TGT Computer Science के लिए RTE Act, 2009 (As Amended), NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुपालन में B.Ed. एवं CTET को अनिवार्य करने का कष्ट करें।
- ▶ कृपया PGT Computer Science के लिए NCTE Act, 1993 (As Amended) की धारा 12क, धारा 32(2)(घघ) NCTE Minimum Qualification Regulations 12.11.2010 के अनुसार और Autonomus Educational Organization KVS, NVS, AEES, Sainik School Society, ISRO के समान में B.Ed. को अनिवार्य करने का कष्ट करें।
- अन्यथा हम B.Ed. छात्रों को NESTS/Adv/2025/01 के माध्यम से दिनांक 19.09.2025 को जारी पूरे विज्ञापन (ESSE)-2025 को माननीय न्यायालय में चैलेंज करना पड़ेगा और पहली सुनवाई में ही NESTS/Adv/2025/01 दिनांक 19.09.2025 को जारी पूरे विज्ञापन (ESSE)-2025 पर Stay की प्रेयर डाली जाएगी, जब तक कि NESTS द्वारा PGT Computer Science और TGT Computer Science शिक्षकों की Essential Educational Qualification में B.Ed. को शामिल नहीं कर लिया जाता है।

क्योंकि TGT Computer Science की Educational Qualifications RTE Act 2009, NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 और मा॰ सुप्रीम कोर्ट के 01.09.2025 के आदेश के अनुसार नहीं हैं।

PGT Computer Science की Educational Qualifications NCTE Act, 1993 (As Amended) की धारा 12क, धारा 32(2)(घघ) NCTE Minimum Qualification Regulations 12.11.2010 के अनुसार नहीं है और Autonomus Educational Organization KVS, NVS, AEES, Sainik School Society, ISRO के समान नहीं है।

- √ हम सभी B.Ed. ESSE-2025 भर्ती को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे भर्ती प्रक्रिया में बहुत देरी होगी।
- ✓ हम सभी B.Ed. छात्रों ने शैक्षिक मामलों के विधि विशेषज्ञों से भी बात की उनके अनुसार सभी Legal Provisions B.Ed. छात्रों के पक्ष में हैं और NESTS द्वारा ESSE-2025 में PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications सही नहीं हैं।
- ✓ हम सभी B.Ed. छात्र भी नहीं चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में बहुत देरी हो लेकिन यदि NESTS PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications की NVS की PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications के अनुसार Revised नहीं करता है तो मजबूरन हमें न्याय के लिए न्यायालय में याचिका दाखिल करनी होगी जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया होल्ड पर चली जाएगी।
- ✓ अतः आपसे अनुरोध है कि सक्षम स्तर से मेरे पत्र/ईमेल/CPGRAMS सन्दर्भ का परीक्षण करवाकर शीघ्र अतिशीघ्र माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी से या बाई सर्कुलेशन के माध्यम से Governing Body से इस विषय/मामले पर अनुमोदन/Approval प्राप्त करके NESTS PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications की NVS की PGT Computer Science और TGT Computer Science की Educational Qualifications के अनुसार Revised करने का कष्ट करें, जिससे कि ESSE-2025 भर्ती प्रक्रिया कोर्ट में न फंसे।

### अब मैं उपरोक्त उल्लेखित विवादित प्रकरण को Sum Up करके Conclusively आपके समक्ष रखता हूं।

NESTS द्वारा जारी विज्ञापन ESSE 2025 में PGT Computer Science Post की Educational Qualifications को NVS की PGT Computer Science Post की Educational Qualifications के समान ही किया जाना चाहिए क्योंकि -

- 1. NESTS द्वारा जारी विज्ञापन ESSE 2025 में PGT Computer Science Post की Educational Qualifications, NCTE Minimum Qualification Regulations 12.11.2014 के Regulation 4A के अनुसार विवादित और गलत है।
- 2. NCTE अधिनियम, 2009 (यधासंशोधित) की धारा 12क विद्यालय शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम स्तर अवधारित करने की परिषद् की शक्ति एवं अधिकार NCTE को भारत की संसद द्वारा प्राप्त है, अतः NESTS द्वारा संचालित EMRS विद्यालयों में PGT शिक्षकों के पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को NCTE Minimum Qualification Regulations 12.11.2014 के अनुसार होना अनिवार्य है।
- 3. NESTS द्वारा संचालित EMRS विद्यालयों में PGT पदों की Educational Qualifications को NVS में PGT पदों की Educational Qualifications के आधार पर बदला गया है अतः NESTS PGT Computer Science Post की Educational Qualifications को NVS की PGT Computer Science Post की Educational Qualifications के समान ही होना चाहिए।

NESTS द्वारा जारी विज्ञापन ESSE 2025 में TGT Computer Science Post की Educational Qualifications को NVS की TGT Computer Science Post की Educational Qualifications के समान ही किया जाना चाहिए क्योंकि -

1. आप अवगत हैं कि NESTS द्वारा संचालित EMRS विद्यालयों में TGT Computer Science समेत समस्त TGT शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक शिक्षण कार्य करते हैं, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षण कार्य भी शामिल है।

- 2. अतः कक्षा 6 से 8 में शिक्षण कार्य करने वाले TGT Computer Science शिक्षक RTE Act, 2009 (As Amended) के दायरे में आते हैं यानि कि इन TGT Computer Science शिक्षकों पर RTE Act, 2009 लागू होता है।
- 3. RTE Act, 2009 की धारा 23(1) के अधीन NCTE द्वारा अधिसूचित Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 के Regulation 1(2) के अनुसार TGT Computer Science शिक्षकों पर TET/CTET लागू होता है।
- 4. मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के अनुसार 01.09.2027 तक बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science के पदों पर ESSE-2025 के माध्यम से भर्ती किए गए शिक्षकों को TET पास करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों को स्वतः त्यागपत्र देकर सेवा से बाहर होना अनिवार्य होगा या फिर मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार उन्हें सेवा से निकाल दिया जाएगा।
- 5. अब अगर NESTS द्वारा ESSE 2025 के माध्यम से बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की भर्ती की जाती है तो बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों को सेवा से बाहर होना ही पड़ेगा क्योंकि जब उनके पास कोई B.Ed. की Degree ही नहीं होगी तो वे बिना B.Ed. पास किए CTET परीक्षा में कैसे शामिल हों सकेंगे।
- 6. और जब बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षक CTET में शामिल होने की योग्यता ही नहीं रखते हैं तो वे 01.09.2027 तक बिना B.Ed. पास किए CTET कैसे पास कर सकेंगे।
- 7. उन बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की सेवा NESTS को मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए 01.09.2025 के आदेश के अनुसार समाप्त करनी होंगी।
- 8. NESTS द्वारा ESSE-2025 के माध्यम से बिना B.Ed. और बिना CTET पास किए Untrained TGT Computer Science शिक्षकों की भर्ती करना RTE Act 2009, NCTE Minimum Qualification Regulations 23.08.2010 और मा॰ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशांत-ए-तालिम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के विरुद्ध गलत तरीके से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं।

विशेष अनुरोध – कृपया प्रकरण की गंभीरता को समझिए और इस पर विचार करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र माननीय जनजातीय कार्य मंत्री जी से या बाई सर्कुलेशन के माध्यम से Governing Body से इस विषय/मामले पर अनुमोदन/Approval प्राप्त करके त्वरित निर्णय लेने का कष्ट करें।

## CHAPTER 4: ELIGIBILITY CRITERIA & QUALIFICATION

Post	Age limit	Qualification and Experience
Principal	Not exceeding 50 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation)  Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	Essential Qualification: (i, ii and iii) i) Master's Degree from recognized institution with at least 50% marks. ii) Bachelor Degree in Education (B.Ed.) from NCTE recognized institution with at least 50% marks  OR Three-year integrated B.EdM.Ed. from NCTE recognized institution with at least 50% marks.  OR Four years Integrated graduation degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution including B.Ed. component.  iii) Experience Persons holding analogous posts or posts of Principals in central/ State Govt./ Autonomous organization of Central/ State Govt. in Level-12 (78800-209200) in the pay matrix.  OR Vice-Principal / Assistant Education Officers in Central/ State Govt. Autonomous organizations of Central/State Govt. In Level-10 (56100-177500) in the Pay matrix, having 09 years of combined service as PGT and Vice-Principal in which minimum 3 years as Vice Principal.  OR PGT or Lecturer in Central/ State Govt./ Autonomous organizations of Central/State Govt. in Level - 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix having at least 12 years regular service in the grade.
10	Per la legan se	DESIRABLE: 1. Experience of working in a fully residential school. 2. Proficiency in English, Hindi and Regional Language 3. Working knowledge of computers.
PGTs	Not exceeding 40 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.	Essential Qualifications  (a)Integrated Post Graduate Course from NCTE recognized institution, in the concerned subject* as per the details given below against every post with at least 50% marks in aggregate including B.Ed. component.  OR  (b) Post Graduation (Master) Degree from a recognized
	Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation)	institution with at least 50% marks in aggregate in the subject concerned*

Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years SMINISTR

### AND

B.Ed. Degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks

### OR

Three years integrated B. Ed. - M. Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks

#### OR

Four years Integrated graduation degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution including B.Ed. component.

Details of subjects are as under: -

SI. No.	Post	Master's Degree in the subject
(i)	PGT (English)	English
(ii)	PGT (Hindi)	Hindi
(iii)	PGT (Physics)	In Physics or any specialization in Physics provided the candidate has studied Physics at Graduation level.
(iv)	PGT (Chemistry)	In Chemistry or any specialization in Chemistry provided the candidate has studied Chemistry at Graduation level.
(v)	PGT (Maths)	In Mathematics or any specialization in Mathematics provided the candidate has studied Mathematics at Graduation level.
(vi)	PGT (Economics)	In Economics or any specialization in Economics provided the candidate has studied Economics at Graduation level.
(vii)	PGT (Biology)	In Biology / Zoology / Botany or any specialization in Biology / Zoology / Botany provided the candidate has studied Biology /

				Zoology / Botany at Graduation level.
	FI RE	(viii)	PGT (History)	In History or any specialization in History provided the candidate has studied History at Graduation level.
	SA MODEL RE	(ix)	PGT (Geography)	In Geography or any specialization in Geography provided the candidate has studied Geography at Graduation level.
		(x)	PGT (Commerce)	In Commerce provided the candidate has studied Accountancy and Business Studies at Graduation level.  Note: Holders of Degree of M.Com. in Economics shall not be eligible.
		b)	Experience as institution in con-	TGT in the recognized cerned subject. orking in a residential school. omputer Application.
PGT (Computer Science)				
(Computer	Not exceeding 40 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.	Tech	(Computer Scien	ce / IT) / MCA/ M.E. or M. nce / IT) from a recognized 50% marks in aggregate.
(Computer	Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under	M.Sc. Tech instit	(Computer Scien . (Computer Scier ution with at least	nce / IT) from a recognized 50% marks in aggregate.
(Computer	Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	M.Sc. Tech instit Note: B. Ed.	(Computer Scien . (Computer Scien ution with at least It is clarified that will be required.	nce / IT) from a recognized 50% marks in aggregate.
(Computer	Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should	M.Sc. Tech instit  Note: B. Ed.  Four NCTE	(Computer Scien (Computer Scien (Computer Scien ution with at least It is clarified that will be required.  achelor Graduat (E recognized insti	for promotion in future,

(including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years

individually and also in aggregate.

### OR

Post Graduation in concerned subject / any specialization in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade provided that the candidate has studied the subject(s) mentioned in the note below at the graduation level and three years integrated B.Ed.-M.Ed from NCTE recognized institution with atleast 50% marks.

### (B) Bachelor Degree in Education

B.Ed. Degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks

### OR

Three years integrated B.Ed. –M.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks.

**Note:** Only in respect of TGT(Regional Language), degree in Education as approved by the State Government for Teachers post as on the cut off date of eligibility of ESSE 2025 is also allowed in lieu of B.Ed.

### (C) CTET

Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper-II) conducted by the Government of India.

CTET certificate issued on or before the cutoff date is essential.

### Note:

For four year integrated graduation degree course with B. Ed Component, (B) is not necessary, however, at least 50% marks in all subjects individually and also in aggregate is mandatory.

Post wise elective subjects and Languages in the combination of subjects are as under:

- a) For TGT (Hindi): Studied Hindi as an Elective/Main subject in all the three years of graduation (Under graduate course).
- b) For TGT (English): Studied English as an Elective/Main subject in all the three years of graduation (Under graduate course).
- c) For TGT (Maths) -

The candidates should have studied all the following three:

- 1. Mathematics as Elective / Main subject in all the three years of graduation (Under graduate course).
- 2. Physics at least 01 year / 02 semesters
- One out of Chemistry, Electronics, Computer Science, Statistics at least 01 year / 02 semesters

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

Note: Candidates with B.Sc. (Hons.) in Physics or Chemistry are not eligible for the post of TGT (Maths).

### d) For TGT (Science)-

Candidates should have studied Biology/Life Science/Botany/Zoology as Hons/Main Subject in all the three years of graduation (Under graduate course) with following combination of subjects for at least one year or 2 semester each

Main Subject	Subsidiary Subjects
Biology/Life	. Chemistry &
Science	. Botany or Zoology
Botany	. Chemistry & Zoology
Zoology	. Chemistry & Botany

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

### e) For TGT (Social Studies):

Studied any two subjects out of History, Geography, Economics and Political Science at graduation (Under graduate course) (3 years degree) level out of which one must be either History or Geography in all three years of graduation as an Elective/Main Subject and the second subject for at least one year / two semesters.

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

a) TGT (Regional Language): Studied Concerned Regional Language as a subject/elective subject in all the three years of Degree course (Under

	NODEL RE	graduate course).  Note: Only in respect of TGT (Regional Language), degree in Education as approved by the State Government for Teachers post as on the cut off date of eligibility of ESSE 2025 is also allowed in lieu of B.Ed.  Desirable:  1. Experience of working in a residential school.  2. Knowledge of Computer Application
TGT	Not exceeding 35 years.	Essential:
(Compute r Science)	Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.  OR  Graduation (Under graduate course) in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.  OR  BE/B. Tech. (Computer Science/Information Technology) with at least 50% marks from a recognized institution.  Note: It is clarified that for promotion to the post of PGT Computer Science, in future, B. Ed. will be required.  Desirable:  1. Experience of working in a residential school.  2. Working Knowledge of English and Hindi/ other regional language.
Art	Not exceeding 35 years.	Essential:
Teacher	Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	<ul> <li>(i) Bachelor's degree in Drawing and Painting / Sculpture / Graphic Art / Fine Arts/Visual art from a recognized institution with at least 50% marks provided that the candidates should have studied Drawing and Painting as Main subject in all the 3 years of graduation.</li> <li>Desirable:         <ul> <li>(i) Working Knowledge of English and Hindi/other regional language.</li> <li>(ii) Experience of working in a residential school.</li> <li>(iii) Working knowledge of computers.</li> </ul> </li> </ul>
Music Teacher	Not exceeding 35 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.	Essential:  Bachelor's Degree in Music / Performing Arts from a UGC recognized institution with at least 50% marks in

or integrated B.P. Ed. course from NCTE and institution with at least 50% marks  OR  or's Degree in Physical Education / Physical on and Sports offered by NCTE recognized on with at least 50% marks provided that, all Education is studied in all the 3 years of ion along with B.P. Ed. of at least one year
or's Degree in Physical Education / Physical on and Sports offered by NCTE recognized on with at least 50% marks provided that, I Education is studied in all the 3 years of ion along with B.P. Ed. of at least one year
on with at least 50% marks provided that, I Education is studied in all the 3 years of ion along with B.P. Ed. of at least one year
on (or its equivalent) from any NCTE recognized on with at least 50% marks.  OR
or's degree with Physical Education as an subject with 50% marks and participation in all Or State or Inter-University competitions in a games or athletics recognized by Association an University or Indian Olympic Association with B.P. Ed. of at least one year duration (or its ent) from any NCTE recognized institution least 50% marks.
resented at least State or National level in any the Sports/ Games recognized by the Sports thority of India (SAI)/ the concerned the eration.
king knowledge of English and Hindi/other ional language. erience of working in a residential school oma from National Institute of Sports
I
r's Degree in Library Science from a recognized on with at least 50% marks OR r Degree in Library & Information Science from sed institution with at least 50% marks.
OR

	the maximum age should not exceed 55 years	Desirable:  1. Experience of working in a residential school  2. Knowledge of computer Applications.
Female Staff Nurse	Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.	ESSENTIAL QUALIFICATIONS (1,2 &3):  1. B.Sc. (Hons.) in Nursing from a recognized University / Institute.  OR Regular course in B.Sc. Nursing from a recognized University / Institute.  OR Post Basic B.Sc. Nursing from a recognized University / Institute.  2. Registered as a Nurse or Nurse Mid-wife (RN or RM) with any State Nursing Council.  3. Two and Half years' experience in minimum 50 bedded Hospital after acquiring (1) above.
Hostel Warden	Up to 35 years  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	Essential Qualification Four years integrated graduation degree course of Regional College of Education of NCERT or other NCTE recognized institution in concerned subject.  OR Bachelor's Degree from a recognized university /institute
Accountant	Not exceeding 30 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	Essential Qualification Bachelors Degree in Commerce from a recognized University / Institute.  Note: Bachelors in Business Administration is not eligible.
Junior Secretariat Assistant (JSA)	Not exceeding 30 years.  Age relaxation for SC/ST/OBC and other categories as applicable under the Govt. of India Rules.  Up to 55 years for EMRS employees* (including all relaxation) Including relaxation under different categories, the maximum age should not exceed 55 years	Senior Secondary (Class XII) certificate from a recognized Board and possessing minimum speed of 35 words per minutes in English typing or 30 words per minute in Hindi typing.

Lab	Up to 30 years	10th Class Pass with a certificate/diploma in
Attendant		Laboratory technique from a recognized
	Age relaxation for SC/ST/OBC and	board/institute
	other categories as applicable under	OR
	the Govt. of India Rules.	12 <sup>th</sup> Class with Science stream from a recognized board/ institute.
	Up to 55 years for EMRS employees*	
	(including all relaxation) Including relaxation under different categories,	SIDEN
	the maximum age should not exceed 55 years.	TAN .

<sup>\*</sup>EMRS employees are those who are appointed on regular pay scales for EMRS. For all teaching posts, proficiency in teaching in English & Hindi is required.

### Note:

- Those applying in response to ESSE-2025 advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for. Application may be submitted only when the candidates are eligible as per the notified eligibility criteria in all aspects including sub-categories, wherever applicable. If it is noticed that the candidate does not meet the eligibility criteria at any stage of recruitment process, i.e., prior to, during and after the selection process, the Offer of Appointment will be withdrawn and the candidate will be removed from the service.
- Since individual scrutiny of a very large number of applications may not be feasible, the consideration of application at the time of written (OMR Based) test will be provisional only.
- Verification of documents shall be carried out by NESTS for preparing the panel before the appointment. Only eligible candidates will be considered for drawing the panel of merit.
- The candidate must have requisite certificate(s) on the notified cutoff date for determining various eligibility criteria (Educational Qualifications, age limit etc.)
- At any stage of the recruitment process, including after recruitment or joining, if any of the
  following is detected, the said applicant will be liable to be removed, disqualified, prosecuted and
  debarred for all appointments in EMRS, NESTS and her/his application/appointment will be
  rejected forthwith, if the applicant:
  - o has provided wrong information or submitted false documents; or
  - o has suppressed relevant information; or
  - o has resorted to unfair means during the Recruitment process; or
  - o is found guilty of impersonation; or
  - has created disturbance affecting the smooth conduct of the written (OMR Based)test at the test centre / venue; or
  - o has uploaded non-human or irrelevant photograph

# RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF POST GRADUATE TEACHERS (COMPUTER SCIENCE) IN NVS

1.	Name of Post	Post Graduate Teachers (Computer Science)
2.	No. of Post	As sanctioned from time to time.
3.	Classification	Group 'B' (equivalent)
4.	Level in the Pay Matrix	Level-8(Rs.47600-151100) in the Pay Matrix
5.	Whether Selection Post or Non-selection Post	Not applicable
6.	Age Limit for direct recruits	Not exceeding 40 years  05 years relaxation in upper age limit in case of employees of NVS. Age relaxation for SC/ST/OBC/PH/Ex-Servicemen as applicable under the Govt. of India rules issued from time to time would be applicable.
7.	Educational and	be applicable.  Essential:
	other qualifications required for direct recruits	1. M.Sc. (Computer Science / IT) / MCA from recognized institution with at least 50% marks.  OR  M.E. Or M.Tech. (Computer Science / IT) from recognized institution with at least 50%.
		recognized institution with at least 50% marks.  2. B.Ed. Degree from NCTE recognized institution with at least 50% marks.  OR
		Three years integrated B.EdM.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks  OR
		Four years Integrated Degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution including B.Ed. Component

8.		o- in case of age.
	educational	
	qualifications Ye	es- in case of educational qualification.
	prescribed for direct How	ever, condition of 50% marks in Post-Graduate
	I <del>*</del>	ree shall not apply in case of promotion.
	promotees	***
9.	Period of Probation if 2	Years
'	any	
10.		by direct recruitment and 25% by promotion
10.	recruitment- Whether thro	
		agii EDE.
	by direct recruitment	
	Or by promotion or	
	by deputation /	
	absorption and	
	percentage of	
	vacancies to be filled	
	by various methods.	
11.	In case of Pror	notion through Limited Departmental
	Recruitment by Exam	nination:
	Promotion/	
		n amongst TGT (CS) having 03 years regular
	Absorption grades serv	ice as TGT (CS) in NVS & having qualifications
		cribed in Sr. No. 7.
	Promotion /	
		e: Promotion of TGT(CS) to PGT (CS) shall be
	2 of 4.11.12	erned by availability of vacancy irrespective of
		ority as TGT(CS). LDE for promotion to the
	**********	of PGT (CS) will be qualifying in nature.
	post	of FG1 (C5) will be qualifying in nature.
	Trai	nsfer on Deputation:
	Pers	
		cational Institutions :-
	a	. Holding analogous post on regular basis;
		OR
		vith 3 years of regular service as TGT(CS/IT) in
	I	evel-7 in the Pay Matrix (Rs.44900-142400); and
		p)Possessing the educational and other
	'	ualifications as prescribed at Sr. No.7.

is its composition

- 12 If a DPC exists what 1. Deputy Commissioner to be nominated by Commissioner, NVS - Chairperson
  - 2. Assistant Commissioner from RO/Hqrs.- to be nominated by Commissioner, NVS - Member
  - 3. Principal to be nominated by Commissioner, **NVS** - **Member**
  - 4. Asst. Comm. dealing with service matters -Member

Note: An SC/ST Officer may also be nominated in the DPC, in case an Officer from these categories is not already an Official member of the DPC as constituted above.

\*\*\*\*

## RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHERS (COMPUTER SCIENCE) IN NVS

1.	Name of Post	Trained Graduate Teacher (Computer Science)
2.	No. of Post	As sanctioned from time to time.
3.	Classification	Group 'B' (equivalent)
4.	Level in the Pay	Level-7 (Rs.44900-142400) in the Pay Matrix
	Matrix	
5.	Whether Selection	Not applicable
	Post or Non-selection	
	Post	
6.		Not exceeding 35 years
1	recruits	
	1	05 years relaxation in upper age limit in case of
	1	employees of NVS. Age relaxation for SC/ST/
		OBC/ PH /Ex-Servicemen as applicable under the
		Govt. of India rules issued from time to time would
		be applicable.
		Age relevation to the extent of period epont as
		Age relaxation to the extent of period spent as FCSA in JNVs, including broken period, if any will
		be given, provided that one stretch of such service
		is for more than six months, including breeks
7.	Educational and	Essential:
	other qualifications	
	required for	1
	required for direct recruits	1. Bachelor's Degree in Computer Application
	_	1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a
	_	1. Bachelor's Degree in Computer Application
	_	<ol> <li>Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.</li> </ol>
	_	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.  OR
	_	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.      OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate
	_	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.      OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must
	_	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.      OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.
	_	Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.      OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.  OR
	_	1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.  OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.  OR  BE/B. Tech. (Computer Science / Information)
	_	1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.  OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.  OR  BE/B. Tech. (Computer Science / Information Technology) with at least 50% marks from a
	_	1. Bachelor's Degree in Computer Application (BCA) with at least 50% marks from a recognized institution.  OR  Graduation in Computer Science / IT from a recognized institution with at least 50% marks in the concerned subject and also in aggregate provided that the computer science subject must be studied in all the years as main subject.  OR  BE/B. Tech. (Computer Science / Information)

		2. Qualified in the Central Teacher Eligibility
		Test (Paper-II) conducted by the Government of
		India.
		3. Bachelor's Degree in Education from NCTE
		recognized institution with at least 50% marks.
		OR
		Three year integrated B.EdM.Ed from NCTE
		recognized institution with at least 50% marks.
		OR
		Four years Integrated Degree with at least 50%
		marks from NCTE recognized institution
		including B.Ed. component
		Desirable:
	1	1. Experience of working in a residential school.
		2. Working knowledge of English and Hindi / other
		Regional Language.
8.		Not applicable
	educational	
	qualifications	
	prescribed for direct	
	recruits will apply to	
	promotees	
9.	Period of Probation if	2 Years
- 10	any	1000/ 1 1:
10.	I	100% by direct recruitment failing which by transfer
		or deputation/short-term contract.
	Whether by direct	
	recruitment Or by	l l
	promotion or by	
	deputation / absorption and	
	percentage of	
	vacancies to be filled	
	by various methods.	
	by various methods.	

11.	In case	of	Transfer on Deputation:
	Recruitment	by	
	Promotion/		Persons working in Govt./Recognized Educational
	Deputation/		Institutions.
	Absorption g	grades	
	from	which	(a) Holding analogous post on regular basis;
	Promotion	/	(b) Possessing the educational and other
	Deputation/		qualifications as prescribed in Column '7'.
	Absorption to	o be	
	made		
12.	If a DPC exists	what	Not applicable
	is its composition	on	

\*\*\*\*\*

### Recruitment Rules for the post of Post Graduate Teacher (Computer Science)

S. No.	Details	Recruitment Rule
1.	Name of the Post	Post Graduate Teacher (Computer Science)
2.	No. of post(s)	1196 (2024-25) which is subject to variation depending on workload. *. Workload after finalization of sections annually subject to variation due to opening of new KV and consequential growth.
3.	Classification	Equivalent to Group 'B'
4.	Level in the Pay Matrix	Level 8 (₹47600 to ₹151100) - Entry Scale Level 10 (₹56100 to ₹177500)- Senior Scale Level 11 (₹67700 to ₹208700)- Selection Scale
5.	Whether selection post or non-selection post	Not Applicable
6.	Age limit for direct recruits	Not exceeding 40 years. 05 years relaxation in upper age limit in case of employees of KVS. Age relaxation for SC/ST/OBC/PwBD/Ex-Servicemen and female candidates as applicable under the Govt. of India/KVS rules issued from time to time would be applicable.
		E
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Essential: 1. M.Sc. (Computer Science / IT) / MCA from recognized university with at least 50% marks.
		OR
		M.E. Or M.Tech. (Computer Science / IT) from recognized university / institution with at least 50% marks.
		B.Ed. Degree from NCTE recognized institution/ University with at least 50% marks.
		OR
		Three years integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks.
		OR
		Four years Integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized Institution / University including B.Ed. Component.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply to the promotees	Not Applicable
9.	Period of probation, if any	Two years for direct recruits
10.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by promotion/ by deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption is to be made	Not Applicable
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	NA
		Durch

## RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF POST GRADUATE TEACHER IN AEES

S1. No.	Details	Recruitment Rule
1	Name of Post	Post Graduate Teacher: English, Hindi, Marathi,
		Tamil, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology,
		History, Geography, Economics, Political Science,
2	No. of Post(s)	Commerce, Computer Science and Electronics 228* (2024)
4	No. of Post(s)	* which is subject to variation depending on workload.
		*Workload after finalization of sections annually
		subject to variation due to opening of new AECS and
		consequential growth.
3	Classification	Equivalent to Group 'B'
4	Level in Pay Matrix	Level 8 (₹ 47600 to ₹ 151100)- Entry Scale
		Level 10 (₹ 56100 to ₹ 177500)- Senior Scale
		Level 11 (₹ 67700 to ₹ 208700)- Selection Scale
		(In the Pay Matrix as per VII CPC)
5	Whether Selection post	PGT: English, Hindi, Marathi, Tamil, Physics,
	or non-selection post	Chemistry, Mathematics, Biology, History, Geography, Economics, Political Science, Commerce and,
		Economics, Political Science, Commerce and, Computer Science - Selection
		Computer Science - Sciection
		PGT (Electronics) – Not Applicable
6	Age limit for direct	Not exceeding 40 years. 05 years relaxation in upper
	recruits	age limit in case of employees of AEES. Age relaxation
		for SC/ST/OBC/PwBD/Ex-Servicemen and female
		candidates as applicable under the Govt. of
		India/AEES rules issued from time to time would be
7	Educational and other	applicable.
/	qualifications required	I. For PGT English, Hindi, Marathi, Tamil, Physics, Chemistry, Mathematics, Biology, History,
	for direct recruits	Geography, Economics, Political Science and
		Commerce
		(a) Essential:
		Integrated Post Graduate Course from NCTE
		recognized university, in the concerned subject with at
		least 50% marks in aggregate including B. Ed.
		Component.
		OR
		Master Degree from a recognized University with at
		least 50% marks in aggregate in the following subjects:
		Sl. Post Masters Degree in the
		No.   Masters Degree in the   Subject
		(i) PGT (English) English
		Provided the candidate has
		studied concerned subject
		at Graduation level also
		(ii) PGT (Hindi) Hindi
		Descrided 41-1 114-1 1
		Provided the candidate has
		studied concerned subject at Graduation level also
		(iii) PGT (Marathi) Marathi
•		[III]   I O I [IVIAI ALIII]   IVIAI ALIII

	T	1
		Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(iv)	PGT (Tamil)	Tamil Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(v)	PGT (Physics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(vi)	PGT (Chemistry)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(vii)	PGT (Mathematics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(viii)	PGT (Biology)	In Biological Science/Life Science or any specialization in concerned subject Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(ix)	PGT (History)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(x)	PGT (Geography)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(xi)	PGT (Economics)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also
(xii)	PGT (Political Science)	In concerned subject or any specialization in concerned subject. Provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also

(xiii)	PGT	Master's	Degree	in
	(Commerce)	Commerce.		
		Holders of D	egree of M.Co	m.
			/ Busin	ess
		Economics	shall not	be
		eligible.		

### AND

(b) B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks

OR

Three years integrated B.Ed. -M.Ed from NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks

OR

Four years Integrated degree with at least 50% marks from NCTE recognized University including B.Ed. component.

(c) Proficiency in teaching in Hindi and English medium

### **DESIRABLE QUALIFICATIONS:**

- (a) Experience as TGT in the recognized institutions in concerned subject.
- (b) Experience of working in a school.
- (c) Knowledge of Computer application.

### II. For PGT (Computer Science) and (Electronics)

Sl. No.	Post	Masters Degree in the Subject	
i)	PGT (Computer Science	Essential:  M.Sc. (Computer Science/ IT)/ MCA from recognized university with at least 50% marks.  OR  M.E. or M.Tech. (Computer Science / IT) from recognized university / institution with at least 50% marks.	
11)	(Electronics)	M.Sc. in Electronics from recognized university with at least 50% marks.  OR  M.Sc. in Physics with Electronics as major subject from recognized university with at least 50% marks.	

	T	
		OR M.Sc. in Physics with two years Post Graduate Diploma in Electronics from recognized university with at least 50% marks.  OR M.E. or M.Tech. in Electronics and Communication from recognized university with at least 50% marks.
		AND
		2. B.Ed. Degree from NCTE recognized institution/ University with at least 50% marks. OR
		Three years integrated B.Ed M.Ed from NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks.  OR
		Four years Integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized Institution / University including B.Ed. Component.
		DESIRABLE QUALIFICATIONS:
		(a) Experience as TGT in the recognized institutions in concerned subject.
		(b) Experience of working in a school.
		(c) Knowledge of Computer application (For Electronics only).
8	Whether age and educational	PGT (Commerce) and PGT (Electronics) – Not Applicable
	qualifications prescribed for direct recruits will apply to the promotees	Other PGTs:
		Age - No
		Educational Qualifications - Yes
9	Period of probation, if any	Two years for direct recruits
10	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Direct Recruitment in case of PGT (Commerce) and PGT (Electronics)  For all other subjects: 66.67% by Direct Recruitment and 33.33% by Limited Departmental Examination, (Qualifying Cum Seniority Basis) failing which by direct recruitment.
11	In case of Recruitment by promotion/ by	PGT (Commerce) and PGT (Electronics) – Not Applicable

	deputation/	0	ther PGTs: Limited I	Departmental Examination:
	absorption, grades			
	from which promotion/	F	rom amongst TGTs v	who have rendered at least 03
	deputation /	уe	ears' of regular serv	rice in the grade and possess
	absorption is to be	qι	ualifications as preso	cribed for direct recruitment of
	made	P	GT as per the followin	g feeder posts:
			<b>Promotional Post</b>	Feeder Post
			PGT (English)	TGT (English)
			PGT (Hindi)	TGT (Hindi/Sanskrit)
			PGT (Marathi)	TGT (Marathi)
			PGT (Tamil)	TGT (Tamil)
			PGT (Physics)	TGT (Maths/Physics)
			PGT (Chemistry)	TGT (Chemistry / Biology)
			PGT (Mathematics)	TGT (Maths/ Physics)
			PGT (Biology)	TGT (Chemistry/ Biology)
			PGT (History)	TGT (Social Science)
			PGT (Geography)	TGT (Social Science)
			PGT (Economics)	TGT (Social Science)
			PGT (Political	TGT (Social Science)
			Science)	
			PGT (Computer	TGT (Computer Science)
			Science)	, , ,
12	If a Departmental	S		nstituted by competent
	Promotion Committee	ı	uthority in AEES.	
	(DPC) exists, what is		,	
	the composition			

## RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER IN AEES

Sl. No.	Details	Recruitment Rule
1	Name of Post	Trained Graduate Teacher (English), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil), (Any other Regional Language), (Mathematics/Physics), (Chemistry/Biology), (Social Science), (Computer Science), (Art), (PET - Male), (PET-Female) and Librarian
2	No. of Post(s)	638* (2024)  * which is subject to variation depending on workload.  *Workload after finalization of sections annually subject to variation due to opening of new AECS and consequential growth.
3	Classification	Equivalent to Group 'B'
4	Level in Pay Matrix	Level 7 (₹ 44900 to ₹142400) - Entry Scale Level 08 (₹ 47600 to ₹151100) - Senior Scale Level 10 (₹56100 to ₹177500) - Selection Scale (In the Pay Matrix as per VII CPC)
5	Whether Selection post or non-selection post	TGT (English), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil), (Any other Regional Language), (Mathematics/Physics), (Chemistry/Biology) and (Social Science) – Selection  TGT(Computer Science), (Art), (PET – Male), (PET-Female) and Librarian – Not Applicable
6	Age limit for direct recruits	Not exceeding 35 years. 05 years relaxation in upper age limit in case of employees of AEES Age relaxation for SC/ ST/ OBC/ PwBD/ Ex-Servicemen and female candidates as applicable under the Govt. of India/AEES rules issued from time to time would be applicable.
7	Educational and other qualifications required for direct recruits	I. TGT (English), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil) and (Any other Regional Language):  Essential Qualification:
		(A)Four years integrated degree course from NCTE recognized university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B. Ed. Component.  OR  Bachelors / Honours Degree from a recognized university with at least 50% marks in concerned subject, combination of subjects and also in aggregate with B.Ed.
		Degree from NCTE recognized Institution/University with at least 50% marks / Three years integrated B.EdM.Ed from NCTE recognized institution with atleast 50% marks.  OR  **Graduation in concerned subject with at least 50% marks and 1-year B.Ed. (Special Education) from Rehabilitation Council of India (RCI) with atleast 50% marks.  OR  Post Graduate in concerned subject with a minimum 55% marks or equivalent grade and three-year

integrated B.Ed.-M.Ed from NCTE recognized institution with at least 50% marks.

- (B) Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper-II) conducted by the Government of India.
- (C) Competence to teach through English & Hindi languages.

### Note: Post wise Languages are as under:

- a) For TGT (English): Studied English as an Elective/Main subject in at least 03 years/06 semester of the course.
- b) For TGT (Hindi)/Sanskrit): Studied Hindi/Sanskrit as an Elective/Main subject in at least 03 years/ 06 semester of the course.
- c) For TGT (Marathi): Studied Marathi as an Elective/Main subject in at least 03 years/ 06 semester of the course.
- d) For TGT (Tamil): Studied Tamil as an Elective/Main subject in at least 03 years/06 semester of the course.
- e)For TGT (Any other Regional Language): Regional Language as an Elective/Main subject in at least 03 years/06 semester of the course.

### \*\* Training to be undergone-

A person with B.Ed. (Special Education) qualifications shall undergo, after appointment an NCTE recognition 6- month Special Programme in Elementary Education.

### Desirable Qualification:

- 1. Experience of working in a school.
- 2. Knowledge of Computer applications.

## II. TGT (Maths/Physics), (Chemistry/Biology) and (Social Science):

### Essential:

A) Four years integrated degree course from NCTE recognized university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B Ed component.

OR

Bachelors/ Honours Degree from a recognized university with at least 50% marks in concerned subject, combination of subjects and also in aggregate.

And

B.Ed. Degree from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks.

OR

Three years integrated B.Ed. -M.Ed from NCTE recognized Institution/ University with at least 50% marks.

OR

- \*\*One year B.Ed. (Special Education) from Rehabilitation Council of India (RGI) with at least 50% marks.
- (B) Qualified in the Central Teacher Eligibility Test (Paper- II) conducted by the Government of India
- (C) Competence to teach through English & Hindi languages.

### \*\* Training to be undergone-

A person with B.Ed. (Special Education) qualifications shall undergo, after appointment an NCTE recognition 6-month Special Programme in Elementary Education.

### Note:

Post wise elective subjects in the combination of subjects are as under:

### For TGT (Maths/Physics) -

- (i) The candidates should have studied:
- Mathematics as Elective / Main subject in at least 03 years / 06 semester of course.
- ullet Physics at least 01 year / any 02 semesters of the course
- One out of Chemistry, Electronics, Computer Science, Statistics at least 01 year /any 02 semesters of the course.

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

(ii) Candidates with B.Sc. (Hons.) in Physics or Chemistry are not eligible for the post of TGT (Maths/Physics).

### For TGT (Chemistry/Biology)-

Candidates should have studied Biology/Life Science/Botany/Zoology as Hons/Main Subject in at least 03 years/ 06 semester of course with following combination of subjects for at least one year or any 2 semester of the course

Main Subject	Subsidiary Subjects
Biology/Life Science	(i) Chemistry
	(ii) Botany/ Zoology
Botany	(i) Chemistry (ii) Zoology
Zoology	(i) Chemistry (ii) Botany

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

### For TGT (Social Science):

Studied any two subjects out of History, Geography, Economics and Political Science during graduation out of which one must be either History or Geography in at least 03 years/ 06 semester of course as an Elective/Main Subject and the second subject for at least one year / any two semesters of the course.

The candidates who studied under Choice Based Credit System (CBCS) with the above subjects are also eligible to apply.

### **Desirable Qualification:**

- 1. Experience of working in a school.
- 2. Knowledge of Computer applications.

### III. TGT (Computer Science):

i)) B.Sc (Computer Science) / B.Sc (IT) / BCA or Equivalent from a recognized University with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/institution's norms).

OR

B.E. or B.Tech. (Computer Science/IT/Computer Engineering) from a recognized University or equivalent Degree with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/institution's norms).

OR

'A' Level from 'DOEACC', Ministry of Information and Communication Technology with at least 50% marks in aggregate by which Degree is awarded by the University or equivalent CGPA (obtained by conversion to percentage in accordance with the method of conversion of corresponding University's/institution's norms) and Passed graduation in any subject from a recognized University.

(ii) B.Ed. Degree with at least 50% from NCTE recognized Institution/ University.

### Desirable:

- (i) Working knowledge of English and Hindi / other Regional Language.
- (ii) Experience of Working in a School.

### IV. TGT (Art):

### **Essential:**

- (i) Bachelor's degree in Drawing and Painting / Sculpture / Graphic Art / Fine Arts from a recognized University with at least 50% marks provided that the candidates should have studied Drawing and Painting as Main subject in all the years of Degree
- (ii) B.Ed. Degree with at least 50% from NCTE recognized Institution/ University.

### Desirable:

- (i) Working knowledge of English and Hindi / other Regional Language.
- (ii) Experience of Working in a School.
- (iii) Working knowledge of computers.

### V. TGT (PET - Male & Female):

### Essential:

Four year integrated course / Bachelor's Degree in Physical Education/ Bachelor of Physical Education and Sports offered by NCTE recognized Institution / University with at least 50% marks

OR

Graduation from a recognized university and B.P.Ed offered by NCTE recognized institution / University with at least 50% marks in Graduation and B.P.Ed separately.

### Desirable:

- i) Represented at least State at National Level in any of Sports/Games recognized by Sports Authority of India (SAI)/the concerned federation.
- ii) Working knowledge of English and Hindi  $\prime$  other Regional Language.
- iii) Experience of working in a school.
- iv) Diploma from National Institution of Sports

		VI. Librarian:
		Essential:
		Bachelor's Degree in Library Science from a recognized University with at least 50% marks  OR
		Bachelor Degree in Library & Information Science from recognized University with at least 50% marks.
		2. Knowledge of Computer Applications.
		3. Working knowledge of Hindi and English
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply to the Promotees	For TGT (English), (Social Science), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil), (Any other Regional Language), (Mathematics/Physics) and (Chemistry/Biology):  Age: No.  Educational Qualifications - Yes. The condition of possessing CTET (Paper-II) is also applicable to LDE as per NCTE guidelines.
9	Period of probation, if	For TGT (Computer Science), (Art), (PET – Male), (PET-Female) and Librarian: Not Applicable Two years for direct recruits
9	any	Two years for direct recruits
10	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	For TGT (English), (Social Science), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil), (Any other Regional Language), (Mathematics/Physics) and (Chemistry/Biology):  33.33% by Limited Departmental (Qualifying Cum Seniority Basis) failing which by direct recruitment. 66.67% by Direct Recruitment Examination.  For TGT (Computer Science), (Art), (PET - Male), (PET-Female) and Librarian:
		100% by Direct Recruitment
11	In case of Recruitment by promotion/ by deputation/ absorption, grades	For (English), (Social Science), (Hindi/Sanskrit), (Marathi), (Tamil), (Any other Regional Language), (Mathematics/Physics) and (Chemistry/Biology):
	from which promotion/ deputation / absorption is to be	<b>Limited Departmental Examination:</b> From amongst PRTs having 05 years regular service as PRT and with qualification prescribed for direct recruits of TGT.
	made	For TGT (Computer Science), (Art), (PET - Male), (PET-Female) and Librarian: Not Applicable.
12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition	Selection committee constituted by competent authority in AEES.

# **RECRUITMENT NOTICE**



# **Sainik School Amethi**

(Under the aegis of Ministry of Defence)
Kauhar, Shahgarh

Distt-Amethi (UP) - 227411





1. Principal, Sainik School Amethi (Uttar Pradesh) invites applications from eligible candidates (Indian Citizens Only) for the following posts: -

Ser No		Total Vacancies & its Type	Qualification	Pay Scale
(a)	PGT (English)	O1 (Regular) (Reserved for OBC)	(a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University, in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component.  OR  Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject, provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also.  AND  (b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Four years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/University including B.Ed. Component.  (c) Proficiency in teaching in English medium.  Desirable Qualification  (a) Candidates with higher qualification will be given preference and having CTET/STET.  (b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.  (c) Knowledge of Computer applications.  Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.	Pay Level-08 (₹47,600 to ₹151100) as per 7th CPC + DA and other allowances as per Sainik Schools Society, Rules & Regulations
(b)	PGT (Computer Science)	01 (Regular) (Reserved for OBC)	Essential Qualification  (a) M.Sc (Computer Science/IT)/MCA from recognized university with at least 50% marks.  OR  M.E. Or M.Tech (Computer Science/IT) from recognized university/institution with at least 50% marks  (b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Four years integrated Degree with at least 50% marks from NCTE recognized institution/University including B.Ed. Component.	Pay Level-08 (₹47,600 to ₹151100) as per 7th CPC + DA and other allowances as per Sainik Schools Society, Rules & Regulations

(c) Prolitemeny in teaching in Taglish medium.  Desirable Qualification (d) Conditions with higher qualification will be given preference and having CTEYSTET. (d) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in genes as well as in occurricular archiving.  Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.  Exement Intermetinal  (d) Intereserved)  (Experience of Networking and hardware.  Age: Should be between 22 and 40 years of age on 10 May 2025.  Exement Intermetinal  (A) Intereserved of Networking and hardware.  (a) Integrated Post Craduate Course from Regional College of Education of NEBF or NCTE recognized distribution in concerned subject.  (b) Extra or equivalent degree from NCTE encognized antistution/university with a least 50% marks in aggregate in the concerned subject or any specialization in concerned subject.  (b) Extra or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with a least 50% marks.  (c) From years integrated Extra Nation of National States of Nationa			2	
(a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject or any specialization in concerned subject.  Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject and in concerned subject. Death of the candidate has studied concerned subject and in concerned subject. The concerned subject are concerned subject and in concerned subject. The concerned subject are concerned subject and in concerned subject. The concerned subject are concerned subject and in such and in the subject of subject and in such and in concerned subject and in such and in			Desirable Qualification  (a) Candidates with higher qualification will be given preference and having CTET/STET.  (b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.  (c) Knowledge of Networking and hardware.  Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.	
Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.		(Regular) (Unreserved)  01 (Regular)	(a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component.  OR  Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the concerned subject or any specialization in concerned subject. provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also.  AND  (b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Four years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/University including B.Ed. Component.  (c) Proficiency in teaching in English medium.  Desirable Qualification  (a) Candidates with higher qualification will be given preference and having CTET/STET.  (b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.  (c) Knowledge of Computer applications.  Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.  Essential Qualification  (a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component.  OR  Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the subject or any specialization in concerned subject, provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also.  AND  (b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR  Three years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/University with at least 50% marks.  OR  Three years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/Universit	Pay Level-08 (₹47,600 to ₹151100) as per 7th CPC + DA and other allowances as per Sainik Schools Society, Rules & Regulations  Pay Level-08 (₹47,600 to ₹151100) as per 7th CPC + DA and other allowances as per Sainik Schools Society, Rules

	3				
(e)	PGT (Chemistry)	01 (Regular)	Essential Qualification	Pay Level-08	
		(Regular) (Unreserved)	(a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component.  OR	(₹47,600 to ₹151100) as per 7 <sup>th</sup> CPC + DA and other allowances as	
			Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the subject or any specialization in concerned subject, provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also.  AND	per Sainik Schools Society, Rules & Regulations	
			(b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR	a regulations	
			Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR		
			Four years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/University including B.Ed. Component.		
			(c) Proficiency in teaching in English medium.		
			Desirable Qualification		
			(a) Candidates with higher qualification will be given preference and having CTET/STET.		
			(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.		
			(c) Knowledge of Computer applications.		
			Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.		
(f)	PGT (Biology)	01 (Postular)	Essential Qualification:	Pay Level-08 (₹47,600 to	
		(Regular) (Reserved for SC)	(a) Integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate including B.Ed component.  OR	₹151100) as per 7 <sup>th</sup> CPC + DA and other	
			Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the subject or any specialization in concerned subject, provided the candidate has studied concerned subject at Graduation level also.  AND	allowances as per Sainik Schools Society, Rules & Regulations	
			(b) B.Ed or equivalent degree from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.	& Regulations	
			OR		
			Three years integrated B.Ed-M.Ed from NCTE recognized institution/university with at least 50% marks.  OR		
			Four years integrated Degree with atleast 50% marks from NCTE recognized institution/University including B.Ed. Component.		
			(c) Proficiency in teaching in English medium.		
			Desirable Qualifications:		
			(a) Candidates with higher qualification will be given preference and having CTET/STET.		
			(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.		
			(c) Knowledge of Computer applications.		
			Age: Should be between 21 and 40 years of age on 10 May 2025.		
(g)	TGT (Maths)	02 (Contractual)	Essential Qualification.	Consolidated remuneration	
		(Unreserved)	(a) Four years Integrated Degree Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized university with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed. component.  OR	₹68697/- per month (No other allowance)	
			Bachelor's Degree with at least 50% marks in the concerned subject/combination of subject and in aggregate. Candidate have studied maths in all three years of Graduation with any two subjects out of Physics, Chemistry, Electronics, Computer Science, Statistics  OR	anowancej	
			In case of an Honours Degree in Maths, the candidate should have studied Maths in all three years of Graduation with at least 50 % marks in aggregate and any two subjects indicated in para (a) above with at least 50% marks in each subject at Graduation level and also at least 50% marks in Graduation. Note. BA (Hon) in any subject other than Maths are not eligible for the TGT (Maths).		

 4			
		AND	
		(b) B.Ed or equivalent degree from recognized institution/university with at least 50% marks. (B.Ed degree not applicable for Integrated Degree Course including B.Ed. component)	
		(c) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by Central Govt CBSE or State Teacher Eligibility Test conducted by State Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.	
		(d) Proficiency in teaching in English medium	
		Desirable Qualifications.	
		(a) Having PG Degree or any other higher qualification.	
		(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
		(c) Knowledge of Computer applications.	
		Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	
TGT (Social	01	Essential Qualification.	Consolidated
Science)	(Contractual) (Unreserved)	(a) Any of the following.  (i) Graduate in/with History, Geography, Economics and Political Science of which one must be either History or Geography with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.  OR	remuneration ₹68697/- per month (No other allowance)
		(ii) Honours Degree in History, with Geography/Economics/ Political Science in first and/or second year of graduation with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.  OR	
		(iii) Honours degree in Geography, with History/Economics/ Political Science in first and/or second year of graduation with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.	
		(iv) B.A.Ed. with subjects concerned from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.	
		(b) B.Ed or equivalent degree from recognized institution/university with at least 50% marks.(B.Ed degree not applicable for B.A.Ed. Degree Course)	
		(c) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by Central Govt CBSE or State Teacher Eligibility Test conducted by State Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.	
		(d) Proficiency in teaching in English Language.	
		Desirable Qualifications.	
		(a) Having PG Degree or any other higher qualification.	
		(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
		(c) Knowledge of Computer applications.	
		Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	
TGT (General	02	Essential Qualification.	Consolidated
Science)	(Contractual) (Unreserved)	(a) Any of the following:	remuneration ₹68697/- per
		(i) Graduate with Physics and Chemistry/Biology as a subject (either honours or subsidiary level) with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.  OR	month (No other allowance)
		(ii) B.Sc.Ed with subjects concerned from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University with at least 50% marks in concerned subjects/combinations of subjects and also in aggregate.  AND	
		(b) B.Ed or equivalent degree from recognized institution/university with at least 50% marks.(B.Ed degree not applicable for B.Sc.Ed. Degree Course)	
		(c) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by Central Govt CBSE or State Teacher Eligibility Test conducted by State Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.	

			J	
			(d) Proficiency in teaching in English Language.	
			Desirable Qualifications.	
			(a) Having PG Degree or any other higher qualification	
			(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
			(c) Knowledge of Computer applications.	
			Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	
(k)	TGT (Hindi)	01	Essential Qualification.	Consolidated
(-)	(	(Contractual) (Reserved for OBC)	(a) Four Years Integrated Degree Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University with at least 50% marks in the concerned subject as well as in the aggregate including B.Ed. component.	remuneration ₹68697/- per month (No other
			OR  Bachelor's Degree with at least 50 % marks in the concerned subject/combination of subject and in aggregate.	allowance)
			(b) B.Ed or equivalent degree from a recognized University. (B.Ed degree not applicable for Integrated Degree Course including B.Ed. component)	
			(c) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by Central Govt CBSE or State Teacher Eligibility Test conducted by State Government in	
			accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.	
			(d) Hindi as a subject in all three years of graduation.	
			Desirable Qualifications.	
			(a) Having PG Degree or any other higher qualification.	
			(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
			(c) Knowledge of Computer applications.	
			<b>Age</b> : Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	
(l)	Art Master	01 (Contractual)	Essential Qualification.	Consolidated remuneration
		(Unreserved)	(a) Bachelor's Degree in Drawing and Painting/Sculpture/Graphic Art/Fine Arts from a recognized institution with at least 50% marks provided that the candidate should have studied Drawing and Painting as main subject in all three years of Graduation.	₹68697/- per month (No other allowance)
			(b) Able to converse fluently in English.	
			<u>Desirable Qualifications</u> .	
			(a) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
			Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	
(m)	Librarian	01 (Contractual)	Essential Qualification.	Consolidated remuneration
		(Reserved for	(a) Any of the following:	₹68697/- per
		OBC)	(i) Bachelor's Degree in Library Science from a recognized institution with at least 50% marks  OR	month (No other allowance)
			(ii) Bachelor Degree in Library & Information Science from a recognized institution with at least 50% marks	
			(b) Ability to converse fluently in English.	
			<u>Desirable Qualifications</u> .	
			(a) Knowledge of Computer Applications	
			(b) Knowledge of E-Granthalaya or related library software	
			Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	

	6				
(n)	Music Teacher/ Band Master	01 (Contractual) (Reserved for SC)	Essential Qualification.  (a) Senior Secondary/Higher Secondary/Intermediate (Class XII) with 50% marks from recognized board.  AND  Bachelor's Degree in Music from a recognized institution with at least 50% marks provided that the candidate should have studied Music as main subject in all three years of Degree.  OR  Potential Band Master/Band Major/drum Major Course at the AEC Training College and Centre, Pachmarhi Or Equivalent from Naval or equivalent from Air force Course.  (b) Proficiency in teaching in English medium.  Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹44,676/- per month (No other allowance)	
(0)	Counsellor	O1 (Contractual) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) Graduate in Psychology or PG Diploma in Child Development or Career Guidance and Counselling  Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹27,500/- per month (No other allowance)	
(p)	Lab Assistant (Physics)	01 (Contractual) Reserved for OBC)	Essential Qualification.  (a) Intermediate Science or equivalent with concerned subject from the recognized board.  (b) Proficiency in teaching in English medium.  Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹39,015/- per month (No other allowance)	
(q)	Lab Assistant (Chemistry)	01 (Contractual) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) Intermediate Science or equivalent with concerned subject from the recognized board.  (b) Proficiency in teaching in English medium.  Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹39,015/- per month (No other allowance)	
(r)	Lab Assistant (Biology)	01 (Contractual) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) Intermediate Science or equivalent with concerned subject from the recognized board.  (b) Proficiency in teaching in English medium.  Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹39,015/- per month (No other allowance)	
(s)	Medical Officer	O1 (Contractual) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) MBBS Degree from a recognized institution  Age: Should be between 18 and 50 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹81,243/- per month (No other allowance)	
(t)	LDC	01 (Contractual) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) Should have passed Matriculation (10th) or equivalent examination from a recognized board or university  (b) Should have Typing Speed (English - 40 words per minute & Hindi - 35 words per minute) on computer  (c) Knowledge of Computer Applications (MS Office, MS Excel etc)  Desirable Qualifications.  (a) Intermediate and Bachelor's Degree from a recognized board or university  (b) Knowledge of Shorthand  (c) Able to do correspondence in English  Age: Should be between 18 and 50 years of age on 10 May 2025.	Consolidated remuneration ₹30,447/- per month (No other allowance)	

(m)	Ward Boy	03	Essential Qualification.	Consolidated
(u)	waг <b>u</b> ьоу	(Contractual) (OBC-01, Unreserved -02)	(a) Should have passed Matriculation (10 <sup>th</sup> ) or equivalent examination from a recognized board or university  Desirable:	remuneration ₹25,000/- per month (No other allowance)
			(a) Communication in English, Higher Qualification, experience in handling the students in a residential school/Institution, knowledge of computers & typing, experience in housekeeping duties and experience of working as Hostel Warden/Ward Boy in any Residential School will be given preference. In addition to this, preference will be given to those who possess Degree/Diploma in Home Science or having done dietitian's course and have basic medical knowledge including first aid. The candidate should be physically fit.  Age: Should be between 18 and 50 years of age on 10 May 2025.	
(41)	тст	01	Ecceptial Qualification	Canaalidatad
(v)	TGT (English)	(Temporary) (Unreserved)	Essential Qualification.  (a) Any of the following:	Consolidated remuneration ₹68697/- per
			(i) Four Years Integrated Degree Course from Regional College of Education of NCERT or NCTE recognized University with at least 50% marks in the concerned subject/combination of subjects and also in aggregate including B.Ed. component.  OR	month (No other allowance)
			(ii) Bachelor's Degree with at least 50 % marks in the concerned subject/combination of subjects and also in aggregate. OR	
			(iii) Bachelor Honours Degree with at least 50% marks in concerned subject /combination of subjects and also in aggregate. The candidate should have studied the concerned subject in all three years of degree course.	
			(b) B Ed or equivalent degree from a recognized University. (B.Ed degree not applicable for Integrated Degree Course including B.Ed. component)	
			(c) Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) conducted by Central Govt CBSE or State Teacher Eligibility Test conducted by State Government in accordance with the guidelines framed by the NCTE for the purpose.	
			(d) English as a subject in all three years of graduation.	
			Desirable Qualifications.	
			(a) Having PG Degree or any other higher qualification.	
			(b) Experience of teaching in residential Public Schools and proficiency in games as well as in co-curricular activities.	
			(c) Candidates with knowledge of Computer Applications will be given preference.	
			Age: Should be between 21 and 35 years of age on 10 May 2025.	

- 2. **Minimum Marks.** Minimum marks required (in essential qualification) for the posts are given in the succeeding sub paragraphs. **Candidates without minimum marks required in essential qualification need not apply**.
- 3. <u>Allowances and Perquisites for Regular Staff</u>. Accommodation inside the school campus (If a residential accommodation cannot be provided to a member of staff, he/she will be paid HRA in lieu of it), Transport Allowance, DA, Contributory Pension under National Pension Scheme, Medical Allowance, subsidized education/schooling for two biological children from class VI to XII. Availability of accommodation inside the school campus is subject to availability.
- 4. <u>Contractual/Temporary Employees.</u> "Contractual/Temporary employees are not entitled for any perquisites except consolidated salary (as above in para 1)".

# 5. Other Conditions for Contractual Staff & Temporary Staff

(a) Sainik Schools Society, Rules & Regulations 1997 edition and as amended from time to time will be applicable.



असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग III-खण्ड IV

PART III—Section IV

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 366]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 16, 2014/अग्रहायण 25, 1936

No. 366]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 16, 2014/AGRAHAYANA 25, 1936

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2014

फा संख्या 62—1/2012/राअशिप(मानदण्ड तथा मानक)— राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 12ए के साथ पठित खण्ड 32 के उप—खण्ड (2) धारा (घघ) के अधीन प्रदत्त षित्तयों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (स्कूलों में अध्यापक की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2001 का अतिक्रमण करते हुए, ऐसे अतिक्रमण से पूर्व की गई अथवा करने से छूट गई बातों को छोड़कर परिषद निम्न् विनियम बनाती है नामतः

## 1. लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन

- (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (पूर्व—प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट कालेजों में शिक्षा अध्यापकों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्युनतम अईताओं का निर्धारण) विनियम 2014 कहलाएंगे।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

#### 2. प्रयोज्यता

ये विनियम पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल में अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले उच्च माध्यमिक अथवा इन्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भर्ती के लिए लागू होंगे:

स्पष्टीकरणः इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'स्कूल षब्द में निम्न षामिल हैं:

- (1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा नियंत्रित स्कूल।
- (i) ऐसा स्कूल जो अपने व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रहा है।
- (ii) ऐसा स्कूल जो अपने व्यय की पूर्व अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त कर रहा है।
- (iii) ऐसा स्कूल जो अपने व्यय की पूर्ण अथवा आंशिक पूर्ति के लिए केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से कोई सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा है।

4950GI/2014 (1)

### भर्ती के लिए अईताएं

- (क) पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च-प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल में अथवा उच्च माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाले इंटरमीडिएट कालेज में अध्यापकों की भर्ती के लिए अर्हताएं इन विनियमों के साथ संलग्न पहली और दूसरी अनुसूची (अनुसूचियों) के अनुसार होगी।
- (ख) अध्यापकों की एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नित के लिए पहली और दूसरी अनुसूची(अनुसूचियों) में यथानिर्दिष्ट संगत न्यूनतम अर्हताएं लागू हैं।

# 5. ढील देने की शक्ति

जहां परिषद संबंधित राज्य सरकार से संदर्भ प्राप्त होने पर इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं जिनके कारण विनियमों के कितपय प्रावधानों में ढ़ील दिए जाने की जरूरत है, तो वह ऐसे प्रावधान में ऐसी सीमा तक, ऐसी समय अविध के लिए तथा ऐसी षर्तों और सीमाओं के अध्यधीन जो वह जरूरी समझे, एक उचित और न्यायसंगत तरीके से ढील दे सकती है:

लेकिन षर्त यह है कि स्तर 3 के अध्यापकों (कक्षा I से VIII) की नियुक्ति के लिए पहली अनुसूची में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम् अर्हताओं के संबंध में विनियमों के अधीन कोई ढ़ील नहीं दी जाएगी।

# 6. निर्वचन

यदि इन विनियमों के निर्वचन अथवा विभिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समतुल्यता को लेकर कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इस संबंध में परिषद निर्णय लेगीः

# पहली अनुसूची

# [देखें विनियम (4) का उपविनियम(ख)]

(पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट कालेजों में विक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2014

स्तर	न्यूनतम अकादमिक तथा व्यावसायिक अर्हताए
स्कूल-पूर्व / नर्सरी(4-6 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों के लिए)	(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सिहत उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)।
	अथवा
	(ii) 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण षुरू करने के लिए अनुमित) विनियम 2002 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 45% अंकों सिहत उच्च माध्यिमक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)।
	(ख) नर्सरी अध्यापक शिक्षा / स्कूल-पूर्व शिक्षा / प्रारंभिक शेशवावस्था शिक्षा कार्यक्रम (डी.ई.सी.एड.) का कम से कम दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा
	पारपद स मान्यताप्राप्त सस्थान स बा.एड(नसरा)।
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा I से कक्षा VIII)	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(2009 का 35वां) के खण्ड 23 के उप—खण्ड (i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 23.08.2010 की समय—समय पर यथासंशोधित अधिसूचना में यथानिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताएं।
माध्यमिक $/$ हाईस्कूल (कक्षा ${ m IX}$ से कक्षा ${ m X}$ के लिए)	(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 5045% अंकों सहित स्नातक/रनातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक(बी.एड.)। अथवा
	(ख) 13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण

	(मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित विनियम) तथा (10.12.2007 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45% अंकों सिहत स्नातक/स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक (बी.एड.)। अथवा  (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी भी संस्थान से बी.एड./बी.एससी.एड की चार वर्षीय डिग्री।
उच्च माध्यमिक∕इंटरमीडिएट (XI-XII)	(क) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 % अंकों सहित स्नातकोत्तर(अथवा इसके समतुल्य) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक(बी.एड.)।  अथवा (ख) (13.11.2002 को अधिसूचित) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमित) विनियम 2002 तथा 10. 12.2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर (अथवा इसके समतुल्य) में कम से कम 45% अंकों सिहत स्नातकोत्तर। अथवा (ग) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम से कम 50% अंकों सिहत स्नातकोत्तर। तथा राअशिप से मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्थान से बी.ए.एड वी.एससी. एड.।

# दूसरी अनुसूची

# [देखें विनियम (४) का उपविनियम(ख)]

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट स्कूलों या कालेजों में शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) विनियम 2014।

स्तर	न्यूनतम अकादमिक तथा व्यावसायिक अर्हताए
प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक (कक्षा I अथवा इसके VIII)	(क) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतुल्य)।
	अथवा
	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने उच्च माध्यमिक परीक्षा (+2) अथवा इसके समतुल्य परीक्षा पास की है तथा जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 (10.02.2007 को अधिसूचित) के अनुसार कम से कम स्कूल/कालेज/जिला स्तर पर खेलकूद/खेलों में भाग लिया हो।
	अथवा
	13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की

समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से कम से कम 50% अंकों सहित उच्च माध्यमिक (कक्षा XII अथवा इसके समतल्य)।

#### तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यताप्राप्त किसी भी संस्थान से षारीरिक शिक्षा में कम से कम दो वर्ष का प्रमाण— पत्र/डिप्लोमा (अथवा इसके समतुल्य)

2. माध्यमिक / हाई स्कूल (कक्षा IX-X)

एक वैकल्पिक विषय के रूप में षारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री)।

#### अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सिहत षारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री तथा ऐसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी अथवा इंडियन ओलम्पिक ऐसोसिएशन द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर—विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेल प्रतियोगिताओं अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

#### अथवा

45% अंकों सिहत स्नातक डिग्री तथा राष्ट्रीय अथवा राज्य अथवा अन्तर—विश्वविद्यालयी खेलकूद अथवा खेलों अथवा ऐथलिटिक्स में सहभागिता।

#### अथवा

प्रतिनियुक्ति सेवारत अभ्यर्थी (अर्थात् प्रशिक्षित शारीरिक अध्यापक / कोच) — 45% अंकों सिंहत स्नातक तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव।

#### अथवा

45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक।

#### अथवा

एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 40% अंकों सहित स्नातक।

#### अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद / खेलों में स्कूल, अन्तर कालेजीएट में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद(मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 [(10.12. 2007)] को अधिसूचित) के अनुसार एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र पास किया हो।।

#### अथवा

शारीरिक शिक्षा में 3 वर्ष की अवधि का स्नातक अर्थात बी.पी. एड. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)।

# अथवा

ऐसा स्नातक जिसने खेलकूद/खेलों/ऐथलेटिक्स में राज्य/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो।

#### अथवा

ऐसा स्नातक जिसने अन्तर—कालेजिएट खेलकूद / खेल प्रतियोगिताओं में पहला, दूसरा अथवा तीसरा स्थान प्राप्त किया हो / एनसीसी 'सी'प्रमाणपत्र का धारक हो अथवा जिसने जोखिमपूर्ण खेलकूद में बुनियादी पाठ्यक्रम पास किया हो।

#### अथवा

13.11.2002 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा करने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

	खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रबन्ध, खेलकूद कोचिंग, योगा, आलम्पिक षिक्षा, खेलकूद पत्रकारिता आदि में एक वर्ष के प्रषिक्षण कार्यक्रम सहित स्नातक।
	तथा (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्थान से षारीरिक शिक्षा में कम से कम एक वर्ष की अवधि
3. उच्च माध्यमिक / इंटरमीडिएट (कक्षा XI-XII के लिए)	का स्नातक (बी.पी.एड) {अथवा इसके समतुल्य}।  पारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड) अथवा शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई) अथवा स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में विज्ञान स्नातक (बी.एस.सी) तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2009 के अनुसार कम से कम 55% अंकों सहित खेलकूद में डिग्री।  अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम 2007 (10.12.2007 को अधिसूचित) के अनुसार बी.पी.
	एड. डिग्री / बी.पी.एड (एकीकृत) 4 वर्षीय व्यावसायिक डिग्री में कम से कम 50% अंक। अथवा कम से कम 55% अंकों सहित बी.पी.एड अथवा 13.11.2002 को
	अधिसूचित विनियम 2009 के अनुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता के लिए आवेदन पत्र, आवेदन पत्र जमा कराने की समय—सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मानदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति) विनियम 2002 के अनुसार
	कम से कम 50% अंकों सहित 3 वर्ष की अवधि का बी.पी.ई. पाठ्यक्रम (अथवा इसके समतुल्य)। तथा (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त किसी भी संस्थान से कम से कम 2 वर्ष की अवधि का एम.पी.एड पाठ्यक्रम।

ज्गलाल सिंह, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा. / 131 / 2014]

# NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2014

**F. No.-62-1/2012/NCTE** (N&S).—In exercise of the powers conferred under Clause (dd) of Sub-section (2) of Section 32 read with Section 12A of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993) and in supersession of the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Council hereby makes the following regulations, namely:—

#### 1. Short Title and Commencement—

- (1) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Determination of Minimum Qualifications for Persons to be recruited as Education Teachers and Physical Education Teachers in Preprimary, Primary, Upper Primary, Secondary, Senior Secondary or Intermediate Schools or Colleges) Regulations, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Applicability-

# Musica The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग 🌃 —खण्ड ४

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 25, 2010/भाद्र 3, 1932

No. 2151

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 25, 2010/BHADRA 3, 1932

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिचद्

# अधिसूचना .

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

फा. सं. 61-03/2010/एनसीटीई (एन एंड एस).—िन हुन्हिं एवं अतिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2005 (2009 का 35) की धारा 23 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 750(अ) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् एतद्द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 2 के खण्ड (ढ) में संदर्भित स्कूलों में कक्षा I से VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति की पात्रता हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योग्यता निर्धारित करती है :—

# 1. न्यूनतम योग्यता —

# (i) कक्षा I-V

(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो।

(1)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (विशेष शिक्षा)

# और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

# (ii) कक्षा VI-VIII

(क) बी.ए. / बी.एससी और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (जिस नाम से भी जाना जाता हो)

या

न्यूनतम 50% अकों के साथ बी.ए. / बी.एस.सी. एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.)

या

न्यूनतम 45% अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी एवं शिक्षा शास्त्र में एकवर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानक और कियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो न्यूनतम 50% अका क साथ उच्चतर माध्यामक (या इसक समकक्ष) एवं ४ वर्षाय प्राराभक शिक्षा शास्त्र स्नातक (बी.एल.एड.)

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी. एससी एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

या

न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.ए. / बी.एससी एवं एकवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)

# और

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निरुपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकारों द्वारा आयोजित [अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) में उत्तीर्ण]।

- 2. अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यकम इस अधिसूचना के संदर्भ में केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (राअशिप) द्वारा मान्यता—प्राप्त अध्यापक शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यकम मान्य होगा। शिक्षा शास्त्र में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) और बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए केवल भारतीय पुनर्वास परिषद् (आरसीआई) द्वारा मान्यता—प्राप्त पाठ्यकम मान्य होगा।
- 3. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण वह व्यक्ति.
- (क) जिसके पास न्यूनतम 50% अकों के साथ बी.ए. / बी.एससी और बी.एड. योग्यता है, कक्षा I से V में नियुक्ति के लिए 1 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्त कि वह नियुक्ति के बाद

प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र मे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले ।

- (ख) जिसके पास डी. एड. (विशेष शिक्षा) या बी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता है, उसे नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 6-माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
- 4. इस अधिसूचना की तिथि से पहले नियुक्त अध्यापक :- इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व कक्षा I से VIII के लिए नियुक्त निम्नलिखित श्रेणी के अध्यापकों को उपर्युक्त पैरा (1) में निर्धारित न्यूनतम योग्यतां हासिल करने की आवश्यकता नहीं है :--
  - (क) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (स्कूलों में अध्यापकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 अथवा उसके बाद नियुक्त अध्यापक।

किन्तु बी.एड. की योग्यता रखने वाले कक्षा I से V के अध्यापकों या बी.एड. (विशेष शिक्षा) या डी.एड. (विशेष शिक्षा) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता—प्राप्त 6—माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(ख) कक्षा I से V के शिक्षा स्नातक (बी.एड) योग्यताधारी अध्यापक जिसने पूर्व में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित 6—माह का विशेष आधारभूत अध्यापक पाठ्यक्रम (विशेष बी.टी.सी.) पूरा कर लिया है।

- (ग) भर्ती नियमों के अनुसार 3 सितम्बर, 2001 से पहले नियुक्त अध्यापक।
- 5. कुछ मामलों में इस अधिसूचना की तिथि के बाद नियुक्त अध्यापक इस अधिसूचना की तिथि से पूर्व यदि सरकारों अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा विद्यालयों द्वारा विज्ञापन जारी कर अध्यापकों की नियुक्ति की प्रकिया आरम्भ कर दी गई है, ऐसी स्थिति में नियुक्तियों, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (स्कूलों में अध्यापकों की मर्ती के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण) विनियम, 2001 (समय—समय पर यथासंशोधित) के अनुसार की जा सकती हैं।

हसीब अहमद, सदस्य-सचिव [विज्ञापन III/4/131 /10-असा.]

# NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

F. No. 61-03/20/2010/NCTE/(N&S).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), and in pursuance of Notification No. S.O. 750 (E) dated 31st March, 2010 issued by the Department of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Government of India, the National Council for Teacher Education (NCTE) hereby lays down the following minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in class I to VIII in a school referred to in clause (n) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, with effect from the date of this Notification:—

- 1 Minimum Qualifications.-
- (i) Classes I-V
- (a) Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 - year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations 2002

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor of Elementary Education (B. El. Ed.)

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 - year Diploma in Education (Special Education)

#### AND

- (b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.
- (ii) <u>Classes VI-VIII</u>
- (a) B.A/B.Sc and 2 year Diploma in Elementary Education (by whatever name known)

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed)

OR.

B.A./B.Sc. with at least 45% marks and 1 - year Bachelor in Education (B. Ed), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard

OR

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year Bachelor in Elementary Education (B. El. Ed)

OR.

Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4-year BA/B.Sc. Ed or B.A. Ed./BSc. Ed.

OR

B.A./B.Sc. with at least 50% marks and 1 - year B.Ed. (Special Education)

#### AND

- (b) Pass in the Teacher Eligibility Test (TET), to be conducted by the appropriate Government in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose.
- 2 Diploma/Degree Course in Teacher Education.- For the purposes of this Notification, a diploma/degree course in teacher education recognized by the National Council for Teacher Education (NCTE) only shall be considered. However, in case of Diploma in Education (Special Education) and B. Ed (Special Education), a course recognized by the Rehabilitation Council of India (RCI) only shall be considered.

# 3 Training to be undergone.- A person -

- (a) with BA/B.Sc. with at least 50% marks and B. Ed qualification shall also be eligible for appointment for class I to V upto 1st January, 2012, provided he undergoes, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.
- (b) with D. Ed (Special Education) or B. Ed (Special Education) qualification shall undergo, after appointment, an NCTE recognized 6-month special programme in Elementary Education.
- 4 Teacher appointed before the date of this Notification.- The following categories of teachers appointed for classes I to VIII prior to date of this Notification need not acquire the minimum qualifications specified in Para (1) above,:
- (a) A teacher appointed on or after the 3<sup>rd</sup> September, 2001 i.e. the date on which the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time) came into force, in accordance with that Regulation.

Provided that a teacher of class I to V possessing B. Ed qualification, or a teacher possessing B. Ed (Special Education) or D. Ed (Special Education) qualification shall undergo an NCTE recognized 6 – month special programme on elementary education.

- (b) A teacher of class I to V with B. Ed qualification who has completed a 6-month Special Basic Teacher Course (Special BTC) approved by the NCTE;
- (c) A teacher appointed before the 3rd September, 2001, in accordance with the prevalent Recruitment Rules.
- Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases.- Where an appropriate Government, or local authority or a school has issued an advertisement to initiate the process of appointment of teachers prior to the date of this Notification, such appointments may be made in accordance with the NCTE (Determination of Minimum Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001 (as amended from time to time).

HASIB AHMAD, Member-Secy. [ADVT III/4/131/10-Exty.]

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 73)

[29 दिसम्बर, 1993]

सारे देश में अध्यापक शिक्षा प्रणाली, [जिसके अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों की अर्हताएं भी हैं,] का योजनाबद्ध और समवन्वित विकास करने तथा अध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानक और स्तरमानों का विनियमन और उन्हें समुचित रूप में बनाए रखने की दृष्टि से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना करने का और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने के लिए

भारत गणराज्य के चवालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

#### अध्याय 1

# प्रारंभिक

- **1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 है।
  - (2) इसका विस्तार 2\*\*\* संपूर्ण भारत पर है।
  - (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।
  - ा(4) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू होंगे—
    - (क) संस्थाओं ;
    - (ख) संस्थाओं के छात्र और अध्यापक ;
  - (ग) पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा देने वाले विद्यालय और इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, ऐसे महाविद्यालय, जो वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट शिक्षा प्रदान करते हैं ; और
    - (घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट विद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापक।]
  - 2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
  - (क) "नियत दिन" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की तारीख अभिप्रेत है;
    - (ख) "अध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन नियुक्त परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
    - (ग) "परिषद्" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है ;
  - (घ) ''परीक्षा निकाय'' से ऐसा कोई विश्वविद्यालय, अभिकरण या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिससे अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं के संचालन के लिए कोई संस्था सहबद्ध है ;
    - (ङ) "संस्था" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत है जो अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है ;

¹[(ङक) "स्थानीय प्राधिकारी" से कोई नगर निगम, नगरपालिका समिति, नगरपालिका परिषद्, जिला परिषद्, जिला बोर्ड या नगर पंचायत या पंचायत अथवा ऐसा अन्य प्राधिकारी (चाहे जिस नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है, जो विधिक रूप से किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिए हकदार है या सरकार द्वारा न्यस्त किया गया है ;]

 $<sup>^{1}\,2011</sup>$  के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2019 के अधिनियम सं० 34 की धारा 95 और पांचवी अनुसूची द्वारा (31-10-2019 से) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया गया ।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 2011 के अधिनियम सं० 18 की धारा 3 द्वारा अंतःस्थापित।

- (च) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ;
- (छ) "सदस्य-सचिव" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;
  - (ज) "विहित" से धारा 31 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
  - (झ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से धारा 14 के अधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था अभिप्रेत है ;
  - (ञ) "प्रादेशिक समिति" से धारा 20 के अधीन स्थापित समिति अभिप्रेत है ;
  - (ट) "विनियम" से धारा 32 के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;
- <sup>2</sup>[(टक) "विद्यालय" से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय या वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने वाला कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—
  - (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन कोई विद्यालय :
  - (ii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके किसी भाग को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला कोई विद्यालय ;
  - (iii) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी से अपने संपूर्ण व्यय या उसके किसी भाग को पूरा करने के लिए सहायता या अनुदान न प्राप्त करने वाला कोई विद्यालय ;]
- (ठ) "अध्यापक शिक्षा" से विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक प्रक्रमों पर अध्यापन करने के लिए व्यक्तियों को तैयार करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान या प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत अनौपचारिक शिक्षा, अंशकालिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा पत्राचार शिक्षा है;
- (ड) "अध्यापक शिक्षा अर्हता" से इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय द्वारा प्रदत्त अध्यापक शिक्षा में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
- (ढ) "विश्वविद्यालय" से विश्वद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसी संस्था है जो उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन समझा गया विश्वविद्यालय है;
  - (ण) "उपाध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त परिषद् का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।

#### अध्याय 2

# परिषद् की स्थापना

- 3. परिषद् की स्थापना—(1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नाम से ज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।
- (2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और उसे संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।
  - (4) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
    - (क) अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
    - (ख) उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
    - (ग) सदस्य-सचिव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
    - (घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;

 $<sup>^{1}\,2011</sup>$  के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

 $<sup>^{2}</sup>$  2011 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, पदेन ;
  - (च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;
  - (छ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान, पदेन ;
  - (ज) सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, पदेन ;
  - (झ) अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;
  - (ञ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का वित्त सलाहकार, पदेन ;
  - (ट) सदस्य-सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, पदेन ;
  - (ठ) सभी प्रादेशिक समितियों के अध्यक्ष, पदेन ;
- (ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे तेरह व्यक्ति, जिनके पास शिक्षा या अध्यापन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान है, निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाएंगे :—
  - (i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के अध्यक्ष और शिक्षा के आचार्य चार ;
  - (ii) माध्यमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ

एक ;

(iii) पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक अध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ

तीन ;

(iv) अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में विशेषज्ञ

दो ;

- (v) विहित रीति में चक्रानुक्रम से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ तीन ;
- (ढ) नौ सदस्य, जो राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किए जाएंगे ;
- (ण) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से एक सदस्य राज्य सभा के सभापति द्वारा और दो सदस्य लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;
- (त) तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के अध्यापकों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अध्यापकों में से नियुक्त किए जाएंगे।
- (5) यह घोषित किया जाता है कि परिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा ।
- **4. सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें**—(1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव पूर्णकालिक आधार पर पद धारण करेंगे।
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की पदावधि चार-चार वर्ष या साठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
  - (3) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं।
- (4) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) से (ठ) तक तथा खंड (ढ) और खंड (ण) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि दो वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं।
- (5) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो तत्समय उस रूप में पद धारण करने वाला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और जब तक कि इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, वह अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार कार्य करना है, पदाविध के शेष भाग के लिए धारण करेगा।
- (6) यदि उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति नई नियुक्ति करके भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्ति किया गया व्यक्ति उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की इस प्रकार नियुक्ति हुई है, पदावधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

- (7) अध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।
  - (8) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।
  - 5. सदस्य के पद के लिए निरर्हता—कोई व्यक्ति सदस्य के रूप नियुक्त किए जाने के लिए निर्हित होगा, यदि वह :—
  - (क) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ; या
    - (ख) अनुन्मोचित दिवालिया है ; या
    - (ग) विकृतचित्त का है और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित कर दिया गया है ; या
  - (घ) सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगमित निकाय की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है ; या
  - (ङ) केन्द्रीय सरकार की राय में परिषद् में ऐसा वित्तीय या अन्य हित रखता है जिसके कारण सदस्य के रूप में उसके द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।
  - **6. सदस्य के पद में रिक्ति**—केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को हटा देगी, यदि वह,
    - (क) धारा 5 में वर्णित किसी निरर्हता के अधीन हो जाता है :

परन्तु कोई भी सदस्य इस आधार पर नहीं हटाया जाएगा कि वह उस धारा के खंड (ङ) में वर्णित निरर्हता के अधीन हो गया है, जब तक कि उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ; या

- (ख) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है ; या
- (ग) परिषद् से अनुपस्थित होने की इजाजत लिए बिना परिषद् के तीन लगातार अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है ; या
- (घ) उसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के लिए अहितकर है :

परन्तु इस खंड के अधीन कोई भी सदस्य तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे इस विषय में सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।

7. परिषद् के अधिवेशन—(1) परिषद् का अधिवेशन ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर होगा और वह उसके अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है) के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगी जिन्हें विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाए :

परन्तु परिषद् का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार होगा।

- (2) अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।
- (3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, दोनों परिषद् के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ हैं, तो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।
- (4) ऐसे सभी प्रश्नों का, जो परिषद् के किसी अधिवेशन में उठते हैं, विनिश्चय उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा तथा मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा और वह उस मत का प्रयोग करेगा।
- 8. रिक्तियों, आदि से परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना—परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि :—
  - (क) परिषद् में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या
  - (ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या
  - (ग) परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।
- 9. सहयोजित करने की शक्ति—(1) परिषद्, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को जिनकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के उपबंधों से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी।

- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा सहयोजित व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा ।
- 10. परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति—(1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विनियमों के जो इस निमित्त बनाए जाएं अधीन रहते हुए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार में समूह "क" पदों के समतुल्य पदों का प्रवर्ग, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा ।

- (2) परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
- 11. परिषद् के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन—परिषद् के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और परिषद् द्वारा निकाली गई ऐसी सभी लिखतें परिषद् के सदस्य-सचिव के या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त वैसी ही रीति से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

#### अध्याय 3

# परिषद् के कृत्य

- 12. परिषद् के कृत्य—परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो वह अध्यापक शिक्षा के योजनाबद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा अध्यापक शिक्षा के स्तरमानों के अवधारण और उनको बनाए रखने के लिए ठीक समझे और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् :—
  - (क) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगी तथा उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी :
  - (ख) अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मान्यताप्राप्त संस्थाओं को सिफारिशें कर सकेगी ;
    - (ग) देश में अध्यापक शिक्षा और उसके विकास का समन्वय और उसको मानिटर कर सकेगी ;
  - (घ) ¹\* \* \* मान्यताप्राप्त संस्थाओं में अध्यापक के रूप में नियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी ;
  - (ङ) अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षणों के किसी विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए मानक, जिसके अन्तर्गत उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पात्रता मानदंड और अभ्यर्थियों के चयन की पद्धित, पाठ्यक्रम की अवधि, पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और पाठ्यक्रम का ढंग है, अधिकथित कर सकेगी ;
  - (च) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए, तथा शारीरिक और शिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टाफ पैटर्न, कर्मचारिवृन्द की अर्हताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी :
  - (छ) अध्यापक शिक्षा अर्हताओं में परीक्षाओं, ऐसी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए मानदंड और पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की स्कीमों के संबंध में स्तरमान अधिकथित कर सकेगी ;
  - (ज) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन-फीस और अन्य फीसों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित कर सकेगी :
  - (झ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव परिवर्तन और अनुसंधान का संवर्धन और संचालन कर सकेगी तथा उसके परिणामों का प्रसार कर सकेगी :
  - (ञ) परिषद् द्वारा अधिकथित मानकों, मार्गदर्शक सिद्धांतों और स्तरमानों के क्रियान्वयन की कालिकतः परीक्षा और पुनर्विलोकन कर सकेगी और मान्यता प्राप्त संस्थाओं को उपयुक्त रूप में सलाह दे सकेगी ;
  - (ट) मान्यताप्राप्त संस्थाओं को जवाबदार बनाने के लिए उपयुक्त कार्य निष्पादन, मूल्यांकन पद्धति, मानक और क्रियाविधि विकसित कर सकेगी ;

<sup>े 2011</sup> के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा लोप किया गया।

- (ठ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें बना सकेगी और अध्यापक विकास कार्यक्रमों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगा सकेगी और नई संस्थाएं स्थापित कर सकेगी ;
  - (ड) अध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकेगी ; और
  - (ह) ऐसे अन्य कत्य कर सकेगी जो केन्दीय सरकार दारा उसे सौंपे जाएं।

<sup>1</sup>[12क. विद्यालय शिक्षकों की शिक्षा के न्यूनतम स्तर अवधारित करने की परिषद् की शिक्ति—विद्यालयों में शिक्षा स्तर को बनाए रखने के प्रयोजन के लिए परिषद्, विनियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा स्थापित, चलाए जा रहे, सहायता प्राप्त या मान्यताप्राप्त किसी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट विद्यालय या महाविद्यालय, चाहे जिस नाम से ज्ञात हों, में अध्यापकों के रूप में भर्ती करने के लिए व्यक्तियों की अर्हताएं अवधारित कर सकेगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात एकमात्र रूप से ऐसी अर्हताओं को पूरा न करने के आधार पर जो परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रारंभ से ठीक पूर्व केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा बनाए गए किसी नियम, विनियम या किए गए आदेश के अधीन किसी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक या इंटरमीडिएट विद्यालय या महाविद्यालय में भर्ती किए गए किसी व्यक्ति के बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी :

परंतु यह और कि पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी शिक्षक की न्यूनतम अर्हताएं इस अधिनियम में या निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अर्जित की जाएंगी ।]

- **13. निरीक्षण**—(1) परिषद् इस बात को अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या संस्थाएं इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कृत्य कर रही है किसी ऐसी संस्था का ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निरीक्षण करा सकेगी।
- (2) परिषद्, संस्था को वह तारीख संसूचित करेगी जिसको उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण किया जाना है और संस्था निरीक्षण से ऐसी रीति से सहयुक्त किए जाने की हकदार होगी जो विहित की जाए ।
- (3) परिषद्, संस्था को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में अपने विचार संसूचित करेगी और उस संस्था की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात उस संस्था को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
- (4) इस धारा के अधीन संस्था को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं उसके कार्यपालक प्राधिकारी को दी जाएंगी और संस्था का कार्यपालक प्राधिकारी परिषद् को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा जिसे किसी ऐसी सिफारिश को, जो उपधारा (13) में निर्दिष्ट है, क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, किए जाने की प्रस्थापना की गई है।

#### अध्याय 4

# अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

14. अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली संस्थाओं की मान्यता—(1) नियत दिन को या उसके पश्चात् अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली या प्रस्थापित करने का आशय रखने वाली प्रत्येक संस्था, इस अधिनियम के अधीन मान्यता दी जाने के लिए संबद्ध प्रादेशिक समिति को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, आवेदन करेगी:

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था छह मास की अवधि के लिए और यदि उसने उक्त अवधि के भीतर मान्यता के लिए आवेदन किया है तो प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन के निपटाए जाने तक ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण चालू रखने की हकदार होगी।

<sup>2</sup>[परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसुचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी संस्थाओं को,—

- (i) जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित है:
- (ii) जिन्होंने नियत दिन को या उसके पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 तक अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण का प्रस्ताव किया है; और
  - (iii) जो उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हैं,

प्रादेशिक समिति द्वारा मान्यताप्राप्त समझा जाएगा।]

- (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाए।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से प्रादेशिक समिति द्वारा आवेदन की प्राप्ति पर और संबंधित संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात् वह—

<sup>े 2011</sup> के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा अंतःस्थापित।

 $<sup>^{2}</sup>$  2019 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

- (क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, अर्हित कर्मचारिवृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हैं जो अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्था के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी संस्था को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, मान्यता देने वाला आदेश पारित करेगी; या
- (ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को मान्यता नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी :

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी।

- (4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था को मान्यता मंजूर करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी संस्था को और संबंधित परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।
- (5) ऐसी प्रत्येक संस्था, जिसकी बाबत मान्यता नामंजूर कर दी गई है, उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन पारित मान्यता नामंजूर करने वाले आदेश की प्राप्ति की तारीख से ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण बंद कर देगी।
  - (6) प्रत्येक परीक्षा निकाय, उपधारा (4) के अधीन आदेश की प्राप्ति पर :—
    - (क) जहां मान्यता मंजूर कर दी गई है वहां संस्था को संबद्ध किया जाना मंजूर करेगी ; या
    - (ख) जहां मान्यता नामंजूर कर दी गई है वहां संस्था को संबद्ध किया जाना रद्द कर देगी।
- 15. मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की अनुज्ञा—(1) जहां कोई मान्यताप्राप्त संस्था अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने का आशय रखती है, वहां उसकी अनुज्ञा के लिए संबंधित प्रादेशिक समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन कर सकेगी।

<sup>1</sup>[परंतु केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली ऐसी संस्थाओं द्वारा जो,—

- (i) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वित्तपोषित है; और
- (ii) उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है,

नियत दिन को या उसके पश्चात् शैक्षणिक वर्ष 2017-2018 तक अध्यापक शिक्षा में प्रस्तावित पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे प्रादेशिक समिति द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई है।]

- (2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाए।
- (3) उपधारा (1) के अधीन किसी संस्था से आवेदन की प्राप्ति पर और मान्यताप्राप्त संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो आवश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात्, प्रादेशिक समिति,—
  - (क) यदि उसका, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, अर्हित कर्मचारिवृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में ऐसे नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के समुचित संचालन के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, या
  - (ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी :

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी ।

- (4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था को अनुज्ञा मंजूर करने या नामंजूर करने वाला प्रत्येक आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को और संबद्ध परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।
- **16. परिषद् द्वारा मान्यता या अनुज्ञा के पश्चात् सहबद्धक निकाय द्वारा सहबद्ध किया जाना मंजूर करना**—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई परीक्षा निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात् तब तक, —

-

<sup>े 2019</sup> के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा अंत:स्थापित।

- (क) किसी संस्था को अनंतिम या अन्यथा, सहबद्ध किया जाना मंजूर नहीं करेगा ; या
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए, अनंतिम या अन्यथा, परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के अधीन संबंधित प्रादेशिक समिति से मान्यता या धारा 15 के अधीन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण के लिए अनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो ।

17. अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन और उसके परिणाम—(1) जहां प्रादेशिक समिति का, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या निकाले गए आदेशों का या किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता दी गई थी या धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई थी, उल्लंघन किया है, वहां वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकेगी:

परन्तु किसी मान्यताप्राप्त संस्था के विरुद्ध कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि प्रादेशिक समिति द्वारा पारित मान्यता वापस लेने वाला या इंकार करने वाला आदेश, ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से ही प्रवृत्त होगा ।

- (2) प्रादेशिक समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति, —
- (क) संबंधित मान्यताप्राप्त संस्था को भेजी जाएगी और उसके साथ ही उसकी एक प्रति सहबद्धता रद्द करने के लिए उस विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय को भेजी जाएगी जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध की गई थी ; और
  - (ख) वह आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- (3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता एक बार वापस ले ली जाती है तो ऐसी संस्था, अध्यापक शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को बन्द कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के अनुसार संस्था की सहबद्धता को, उक्त आदेश की संसूचना की तारीख के ठीक आगामी शैक्षणिक सत्र की समाप्ति से रद्द कर देगा।
- (4) यदि कोई संस्था उपधारा (1) के अधीन मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है तो, या जहां अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था नियत दिन के ठीक पूर्व अधिनियम के अधीन मान्यता या अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल हो जाती है या उपेक्षा बरतती है वहां, ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के अनुसरण में या ऐसी संस्था में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण करने के पश्चात् प्राप्त अध्यापक शिक्षा में अर्हता को, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय के अधीन या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षा निकाय में नियोजन के प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य अर्हता नहीं मानी जाएगी।
- **18. अपील**—(1) अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन निकाले गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अविध के भीतर जो विहित की जाए, परिषद् को अपील कर सकेगा।
  - ्(2) अपील उस दशा में ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् की जाती है :
- परन्तु विहित अवधि की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस दशा में ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलर्थी, परिषद् का यह समाधान कर देता है कि उसके पास विहित अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था ।
- (3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए ।
  - (4) अपील को निपटाने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए:
  - परन्तु अपील को नामंजूर करने से पहले अपीलार्थी को अपना मामला प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा ।
  - (5) परिषद् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसको उलट सकेगी ।

## अध्याय 5

# परिषद् के निकाय

- 19. कार्यकारिणी समिति—(1) परिषद्, कार्यकारिणी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का ऐसे कृत्यों के निर्वहन के लिए गठन करेगी जो उसे परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
  - (2) कार्यकारिणी समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- (क) अध्यक्ष ;
- (ख) उपाध्यक्ष ;
- (ग) सदस्य-सचिव ;
- (घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;
- (ङ) सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पदेन ;
- (च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;
- (छ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग में वित्त सलाहकार, पदेन ;
- (ज) अध्यापक शिक्षा में चार विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे ;
- (झ) चार राज्य प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे, जो विहित की जाए ;

# (ञ) प्रादेशिक समितियों के अध्यक्ष ।

- (3) परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव कार्यकारिणी समिति के क्रमश: अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।
- (4) परिषद् का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (5) कार्यकारिणी सिमिति के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति वह होगी, जो विनियमों द्वारा अधिकथित की जाए ।
- (6) कार्यकारिणी समिति, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, दो से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और सलाह की वह कार्यकारिणी समिति को सौंपे गए कृत्यों में से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी :

परन्तु किसी प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा सहयोजित व्यक्तियों को, उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उन्हें कार्यकारिणी समिति के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वे किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होंगे ।

- (7) परिषद्, यदि आवश्यक समझती है तो, ऐसी अन्य समितियों की ऐसे विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए, जो वह ठीक समझे, स्थापना कर सकेगी।
- **20. प्रादेशिक समितियां**—(1) परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रादेशिक समितियां स्थापित करेगी, अर्थात् :—
  - (i) पूर्वी प्रादेशिक समिति ;
  - (ii) पश्चिमी प्रादेशिक समिति ;
  - (iii) उत्तरी प्रादेशिक समिति ; और
  - (iv) दक्षिणी प्रादेशिक समिति।
- (2) परिषद् यदि आवश्यक समझती है तो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसी अन्य प्रादेशिक समितियां जो वह ठीक समझे, स्थापित कर सकेगी ।
  - (3) प्रादेशिक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—
    - (क) परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य ;
  - (ख) प्रदेश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि, जिनका नामनिर्देशन संबंधित राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किया जाएगा ;
  - (ग) उतनी संख्या में ऐसे व्यक्ति, जिनके पास अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जितने विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं ।
- (4) परिषद्, संबंधित प्रादेशिक समिति के सदस्यों में से एक का, उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कृत्य करने के लिए, नामनिर्देशन करेगी।

- (5) खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि और ऐसे सदस्यों को संदेय भत्ते वे होंगे, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (6) प्रादेशिक समिति, धारा 14, धारा 15 और धारा 17 के अधीन अपने कृत्यों के अतिरिक्त, ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा उसे सौंपे जाएं या जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।
- (7) किसी प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी प्रादेशिक अधिकारिता और उसके सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी. जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए ।
- 21. प्रादेशिक समिति को समाप्त करने की शक्ति—(1) यदि परिषद् की यह राय है कि प्रादेशिक समिति इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उसका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या वह इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में जानबूझकर अथवा पर्याप्त हेतुक के बिना असफल हो गई है तो परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रादेशिक समिति को तत्काल समाप्त कर सकेगी।

# (2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर, —

- (क) प्रादेशिक समिति के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, समाप्ति की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे : और
- (ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, उस अवधि के दौरान जब उसके सदस्यों की पदावधि समाप्त कर दी गई है, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें परिषद् निर्दिष्ट करे।
- (3) परिषद्, उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी भी समय, धारा 20 की उपधारा (3) में उपबंधित रीति से प्रादेशिक समिति का पुनर्गठन कर सकेगी :

परन्तु परिषद्, पुनर्गठन प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी जो ऐसी प्रादेशिक समिति का सदस्य था जिसे समाप्त कर दिया गया था ।

#### अध्याय 6

# वित्त, लेखा और संपरीक्षा

- 22. परिषद् को संदाय—केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा, विधि द्वारा, सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उतनी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जितनी इस अधिनियम के अधीन परिषद् के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाए।
- 23. परिषद् की निधि—(1) परिषद् की अपनी निधि होगी और वे सभी धनराशियां, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे संदत्त की जाएं तथा परिषद् की सभी प्राप्तियां, जिनके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसे भारत में या विदेश में कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति परिषद् को संदत्त करे, उस निधि में जमा की जाएंगी और परिषद् द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।
- (2) निधि की सभी रकमें, ऐसे बैंक में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएंगी, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।
- (3) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के लिए उतनी राशियां व्यय कर सकेगी जितनी वह ठीक समझे, और ऐसी राशियां परिषद् की निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।
- **24. परिषद् का बजट**—परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी ।
- 25. वार्षिक रिपोर्ट—परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का सही और पूरा विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी तथा वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।
- **26. लेखा और संपरीक्षा**—(1) परिषद्, ऐसी लेखा बहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगी, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा के परामर्श से विहित करे।
- (2) परिषद्, अपने वार्षिक लेखाओं को बन्द करने के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे प्ररूप में लेखा विवरण तैयार करेगी और उसे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ऐसी तारीख तक भेजेगी, जो केन्द्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से अवधारित करे।

- (3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, की जाएगी ।
- (4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उसके संबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

#### अध्याय 7

### प्रकीर्ण

- 27. शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन—परिषद्, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, प्रादेशिक समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, (सिवाय धारा 32 के अधीन विनियम बनाने की शक्ति के) जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।
- 28. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों या परिषद् या ऐसी समितियों के किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी या उस सरकार या परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।
- 29. केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश—(1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन में, नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगी जो केन्द्रीय सरकार, उसे समय-समय पर, लिखित रूप में दे।
  - (2) इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।
- **30. परिषद् को अतिष्ठित करने की शक्ति**—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिषद् इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या उसने उनका पालन करने में बार-बार व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 29 के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर अथवा पर्याप्त हेतुक के बिना असफल हो गई है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, परिषद् को ऐसी अवधि के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, अतिष्ठित कर सकेगी;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के अधीन अधिसूचना निकालने के पूर्व, परिषद् को यह हेतुक दर्शित करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे क्यों न अतिष्ठित कर दिया जाए और परिषद् के स्पष्टीकरण और आक्षेपों पर, यदि कोई है, विचार करेगी ।

- (2) उपधारा (1) के अधीन परिषद् को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर, —
- (क) परिषद् के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अतिष्ठित किए जाने की तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;
- (ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन परिषद् द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है, अतिष्ठिति काल के दौरान, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे:
  - (ग) परिषद् में निहित सब संपत्ति, अतिष्ठिति काल के दौरान केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी।
- (3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठिति काल की समाप्ति पर,
  - (क) अतिष्ठिति काल को ऐसी और अवधि तक बढ़ा सकेगी जो, वह आवश्यक समझे ; या
  - (ख) धारा 3 में उपबंधित रीति से परिषद् का पुनर्गठन कर सकेगी।
- **31. नियम बनाने की शक्ति**—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थातु :—
  - (क) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार जो धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ड) के उपखंड (v) के अधीन, परिषद् के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करना है ;
  - (ख) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (द) के अधीन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से परिषद् में सदस्यों की नियुक्ति करेगी ;

- (ग) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य-सचिव की और उसकी उपधारा (4) के अधीन सदस्यों की सेवा की शर्तें ;
  - (घ) धारा 4 की उपधारा (७) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;
- (ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाना है और वह रीति जिससे संस्था की धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन ऐसे निरीक्षण में सहयोजित किया जाना है ;
- (च) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन मान्यता प्राप्त करने के लिए और धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन पर संदेय फीस ;
- (छ) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील के लिए परिसीमा की अवधि, उस धारा की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप जिसमें अपील की जाएगी और उसके लिए संदेय फीस और उस धारा की उपधारा (4) के अधीन अपील को निपटाने के लिए प्रक्रिया ;
- (ज) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (झ) के अधीन कार्यकारिणी समिति में राज्य प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट किया जाना है ;
- (झ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 24 के अधीन बजट और धारा 25 के अधीन परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी है ;
- (ञ) वह रीति, जिससे और वह प्ररूप, जिसमें परिषद् का लेखा धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बनाए रखा जाना है;
  - (ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या जिसे विहित किया जाए।
- **32. विनियम बनाने की शक्ति**—(1) परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सकेगी, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—
  - (क) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् के अधिवेशनों के समय और स्थान को और उसमें कार्य संचालन के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना ;
  - (ख) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए व्यक्तियों को धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन परिषद् द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा ;
  - (ग) धारा 10 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन क्रमश: परिषद् के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा के निबंधन और शर्तें ;
    - (घ) निम्नलिखित के संबंध में मानक, मार्गदर्शक सिद्धांत, और स्तरमान,—
    - (i) धारा 12 के खंड (घ) के अधीन अध्यापक के रूप में नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं,
      - (ii) धारा 12 के खंड (ङ) के अधीन अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण का विनिर्दिष्ट प्रवर्ग,
      - (iii) धारा 12 के खंड (च) के अधीन मान्यताप्राप्त संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करना,
      - (iv) धारा 12 के खंड (छ) में निर्दिष्ट अध्यापक शिक्षा अर्हताओं की परीक्षाओं की बाबत स्तरमान,
      - (v) धारा 12 के खंड (ज) के अधीन संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन फीस और अन्य फीस,
    - (vi) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें और धारा 12 के खंड (ठ) के अधीन अध्यापक विकास कार्यक्रम की प्रस्थापना के लिए संस्थाओं का पता लगाना ;

1[(घघ) धारा 12क के अधीन अध्यापकों की अर्हताएं ;]

(ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह रीति जिससे धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना है ;

-

 $<sup>^{1}\,2011</sup>$  के अधिनियम सं 18 की धारा 7 द्वारा अंतःस्थापित ।

- (च) धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन संस्था के समुचित कृत्यकरण के लिए अपेक्षित शर्तें और मान्यता मंजूर करने के लिए शर्तें ;
- (छ) वह प्ररूप, जिसमें और वह रीति जिससे धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया जाना है;
- (ज) धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित रूप में संचालन के लिए अपेक्षित शर्तें और अनुज्ञा देने के लिए शर्तें ;
  - (झ) वे कृत्य, जो धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन कार्यकारिणी समिति को परिषद् द्वारा सौंपे जा सकेंगे ;
- (ञ) धारा 19 की उपधारा (5) के अधीन कार्यकारिणी सिमिति के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक प्रक्रिया और गणपूर्ति ;
- (ट) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए कार्यकारिणी समिति धारा 19 की उपधारा (6) के अधीन व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी;
  - (ठ) धारा 20 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन व्यक्तियों की संस्था ;
  - (ड) धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन सदस्यों की पदावधि और उनको संदेय भत्ते ;
  - (ढ) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा पालन किए जाने वाले अतिरिक्त कृत्य ;
- (ण) धारा 20 की उपधारा (7) के अधीन प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता और उसके सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;
  - (त) कोई अन्य विषय, जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए।
- 33. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अविध के लिए रखा जाएगा। यह अविध एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- **34. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन निकाला गया प्रत्येक आदेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।





# IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION

# **CIVIL APPEAL NO. 1385/2025**

**ANJUMAN ISHAAT-E-TALEEM TRUST** 

... APPELLANT

VS.

THE STATE OF MAHARASHTRA & OTHERS

... RESPONDENTS

WITH

**CIVIL APPEAL NO. 1386/2025,** 

**CIVIL APPEAL NOS.1364-1367/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1389/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1404/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1395/2025,** 

**CIVIL APPEAL NOS.1396-1397/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1405/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1403/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1398/2025,** 

CIVIL APPEAL NOS.1406-1408/2025,

**CIVIL APPEAL NO.1393/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1399/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1391/2025,** 

**CIVIL APPEAL NO.1401/2025,** 

CIVIL APPEAL NO.1390/2025,
CIVIL APPEAL NOS.1409-1410/2025,
CIVIL APPEAL NO.6367/2025,
CIVIL APPEAL NO.6365/2025,
CIVIL APPEAL NO.6366/2025
AND

# **CIVIL APPEAL NO.6364/2025**

# JUDGMENT

# **DIPANKAR DATTA, J.**

# **INDEX**

l.	Introduction	3
II.	ORDERS PASSED BY THE RESPECTIVE HIGH COURTS, IMPUGNED IN THE APPEALS	6
	IMPUGNED JUDGMENT IN THE LEAD APPEAL BEING CIVIL APPEAL NO. 1385 OF 2025 AND CIVIL APPEAL NO. 1386 OF 2025	6
	IMPUGNED JUDGMENT IN CIVIL APPEAL NOS. 6365 - 6367 OF 2025	7
	IMPUGNED ORDER IN CIVIL APPEAL NOS. 1364 - 1367 OF 2025	8
	IMPUGNED JUDGMENT IN CIVIL APPEAL NOS. 1389, 1390, 1391, 1393, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1401, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410 of 2025	9
	IMPUGNED JUDGMENT IN CIVIL APPEAL NO. 6364 OF 2025	12
	SUMMARY OF THE JUDGMENTS	13
III.	Previous decisions concerning the RTE Act	14
	Society for Unaided Private Schools of Rajasthan	14
	Pramati Educational and Cultural Trust v. Union of India	18
IV.	ARGUMENTS OF THE PARTIES	27
V.	THE ACTS, RULES, REGULATIONS AND NOTIFICATIONS	40

VI.	Analysis and Reasons		45
	A.	FROM PROMISE TO RIGHT: THE CONSTITUTIONAL JOURNEY OF ARTICLE 21A AND THE RIGHT TO ELEMENTARY EDUCATION IN INDIA	46
	B.	Breathing life into the promise: the RTE Act and the realisation of Article 21A	51
	C.	The constitutional goal of universal elementary education and common schooling system	54
	D.	Section 12(1)(c), minority institutions and the beginning of the conundrum	56
	E.	THE COST OF EXCLUSION: CONSEQUENCES OF EXEMPTING MINORITY INSTITUTIONS FROM THE AMBIT OF THE RTE ACT	64
	F.	Does Article 30(1) really envisage blanket immunity from all forms of regulation to minority institutions?	72
	G.	Does the regulatory framework under the RTE act, flowing from Article 21A, classify as a reasonable restriction under article 19(6)?	78
	H.	MINORITY INSTITUTIONS AND THE SHARED CONSTITUTIONAL RESPONSIBILITY UNDER ARTICLE 21A	82
	I.	TEACHERS' ROLE IN IMPARTING QUALITY EDUCATION	84
	J.	Applicability of the TET to in-service teachers appointed prior to 2009 and requirement of TET qualification for promotion of teachers	88
	K.	OUR FINDINGS	91
		N PERCEIVED CONFLICT BETWEEN ARTICLES 21A AND 30(1) AND THE APPLICABILITY OF ERTE ACT TO MINORITY INSTITUTIONS	91
	10	n applicability of Section 12(1)(c), RTE Act to minority institutions	95
	L.	Summary of our views on Pramati Educational and Cultural Trust	99
	M.	REQUIREMENT OF MINIMUM QUALIFICATION — WHETHER APPLICABLE TO IN- SERVICE TEACHERS?	100
	N.	On MINIMUM QUALIFICATIONS VERSUS ELIGIBILITY	103
VII.	Ord	ER OF REFERENCE FOR CONSIDERATION BY A LARGER BENCH	105
VIII.	Ord	er on applicability of the TET to in-service teachers	108
	TO THE TELL TO THE TELL TO THE TELL TO THE SERVICE TEACHERS		

# I. INTRODUCTION

1. These civil appeals challenge judgments/orders of two of the three chartered high courts of the nation delivered/made on multiple

- **211.** Registry is directed to place Civil Appeal Nos. 1364 1367, 1385 -1386 and 6364 of 2025 before the Hon'ble Chief Justice of India for appropriate directions.
- 212. As regards Civil Appeal Nos. 6365-6367 of 2025, we have already noted that the State of Tamil Nadu raised the argument regarding the TET for the first time before this Court. The appointment proposals of the concerned teachers were rejected on grounds other than the TET, and the TET issue was not raised before the High Court. We are mindful of the settled legal principles that prohibit the introduction of new grounds for the first time before this Court. Therefore, it would have been appropriate to dismiss the civil appeals at the outset on this basis alone. That said, we are conscious of the fact that the institution in which the teacher/respondent seeks appointment is a minority institution. As such, it falls within the scope of the order of reference mentioned above.
- **213.** In light of this, we direct that Civil Appeal Nos. 6365-6367 of 2025 too shall be governed by the direction in paragraph 211 above.

# VIII. ORDER ON APPLICABILITY OF THE TET TO IN-SERVICE TEACHERS

214. Per the detailed discussions above and resting on the same, we hold that the provisions of the RTE Act have to be complied with by all schools as defined in Section 2(n) of the RTE Act except the schools established and administered by the minority – whether religious or linguistic – till such time the reference is decided and subject to the answers to the questions formulated above under section VII. Logically, it would follow

- that in-service teachers (irrespective of the length of their service) would also be required to qualify the TET to continue in service.
- challenges. There are in-service teachers who were recruited much prior to the advent of the RTE Act and who might have put in more than two or even three decades of service. They have been imparting education to their students to the best of their ability without any serious complaint. It is not that the students who have been imparted education by the non-TET qualified teachers have not shone in life. To dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh although we are alive to the settled legal position that operation of a statute can never be seen as an evil.
- 216. Bearing in mind their predicament, we invoke our powers under Article 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than five years' service left, as on date, may continue in service till they attain the age of superannuation without qualifying the TET. However, we make it clear that if any such teacher (having less than five years' service left) aspires for promotion, he will not be considered eligible without he/she having qualified the TET.
- 217. Insofar as in-service teachers recruited prior to enactment of the RTE Act and having more than 5 years to retire on superannuation are concerned, they shall be under an obligation to qualify the TET within 2 years from date in order to continue in service. If any of such teachers fail to qualify the TET within the time that we have allowed, they shall

have to quit service. They may be compulsorily retired; and paid whatever terminal benefits they are entitled to. We add a rider that to qualify for the terminal benefits, such teachers must have put in the qualifying period of service, in accordance with the rules. If any teacher has not put in the qualifying service and there is some deficiency, his/her case may be considered by the appropriate department in the Government upon a representation being made by him/her.

- 218. Subject to what we have said above, it is reiterated that those aspiring for appointment and those in-service teachers aspiring for appointment by promotion must, however, qualify the TET; or else, they would have no right of consideration of their candidature.
- 219. With the aforesaid modification of the impugned judgments/orders, all the appeals<sup>87</sup> relatable to in-service teachers of non-minority schools stand disposed of on the above terms.

.....J.
(DIPANKAR DATTA)
.....J.
(MANMOHAN)

NEW DELHI; SEPTEMBER 01, 2025.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Civil Appeal Nos. 1389, 1390, 1391, 1393, 1395 to 1399, 1401, 1403, 1404 to 1410 of 2025